



LIFE
Lifestyle for
Environment



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

मैनपुरी

ग्राम पंचायत- औड़ैन्य पड़रिया

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत - औड़ैन्य पड़रिया

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और विधायक (मैनपुरी सदर), उत्तर प्रदेश सरकार
श्री अंजनी कुमार सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), मैनपुरी
सुश्री नेहा बंधु, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), मैनपुरी

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

ग्राम प्रधान, औड़ैन्य पड़रिया

श्री सुदीप सिंह

क्षेत्रीय शोध समर्थन

गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

सुश्री अंजू पांडे, सुश्री सूर्यवती सिंह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



जयवीर सिंह
मंत्री
पर्यटन एवं संस्कृति
उत्तर प्रदेश



कार्यालय : कक्ष संख्या 73 A-B,
मुख्य विधान भवन,
राजिवालय, लखनऊ।
☎ : 0522-2239251
ई-मेल : tourismminister.up@gmail.com
संख्या 1775 वी.आई.पी./मं.प.स./2024
23-10-2024

शुभकामना संदेश

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें ग्राम पंचायत, औड़ैन्य पड़रिया की क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) सहयोगी होगी। यह क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु गतिविधियों को सुदृढ़ करने और पंचायत को वर्ष 2030 तक जलवायु स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गयी है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करेगी एवं स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरण की रक्षा करने तथा समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा देने वाली मॉडल पंचायत के रूप में तैयार करने में सहयोगी होगी।

मैं क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत-औड़ैन्य पड़रिया, विकास खण्ड मैनपुरी, जनपद मैनपुरी को कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्थान गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथ ही ऐसा विश्वास करता हूँ कि यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करें।

हम साथ मिलकर प्रभारी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

उक्त कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

भवदीय,


(जयवीर सिंह)

सुश्री रिनी दत्त,
एसोसिएट डायरेक्टर,
क्लाइमेंट वसुधा फाउंडेशन,
पता-सीआईएसआरएस, 14 जंगपुर बी,
मथुरा रोड़, नई दिल्ली-110014

आवास : 2, एन.एम.आर., विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
कैम्प कार्यालय : 1. 'गौरी भवन', कुंजपुरा रोड़, सिरसागंज-283151, फिरोजाबाद (उ०प्र०), ☎ : 8859951100
2. निकट रेलवे क्रासिंग, करहल रोड़, मैनपुरी, ☎ : 9760482700

अंजनी कुमार सिंह
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी



अर्द्धशासकीय पत्र सं. /
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
दिनांक : नवम्बर ,2024

—:संदेश:—

मुझे यह जानकर हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जनपद मैनपुरी की ग्राम पंचायत औडेन्य पड़रिया, विकास खण्ड मैनपुरी के लिए यह कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम के सतत विकास हेतु जलवायु संरक्षण की दृष्टि से यह कार्ययोजना महत्वपूर्ण सोपान होगी। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के लिये चिंता का विषय है और विकास की यात्रा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारकों पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन एवं विकास की योजनाओं के लिये ग्राम पंचायत प्रथम मूलभूत कड़ी है। अतएव यह आवश्यक है कि जलवायु संरक्षण की यह योजना गांव वालों की आम बोल-चाल की भाषा में तैयार की जाये ताकि अधिकाधिक लोग इसके महत्व एवं आसन्न खतरों को समझ सकें और उस विषय में सक्रिय योगदान कर सकें। यह कार्य सामुदायिक भागीदारी से ही संभव हो सकता है और इसके लिये प्रत्येक नागरिक को सतर्क एवं शिक्षित करना आवश्यक है।

मैं 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' की इस कार्ययोजना एवं इसके अनुसार किये जाने वाले कार्यों की सफलता हेतु शुभकामनाएं देता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतें आगे चलकर 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायतों' के रूप में विकसित होंगी।

भाषकीय,
11.11.2024

(अंजनी कुमार सिंह)

नेहा बन्धु
आई०ए०एस०



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद मैनपुरी,
उत्तर प्रदेश
पत्रांक- 2917
दिनांक- 17/10/24

:: संदेश ::

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा दे।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- औडेन्य पड़रिया विकास खण्ड मैनपुरी जनपद मैनपुरी की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

एक बार पुनः क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ तथा योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करती हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीया

(नेहा बन्धु)

ग्राम पंचायत औडेन्य पड़रिया वि. ख. - मैनपुरी

शुद्धीप सिंह “प्रधान”

मो0 - 9411850222, 9410632555, 9719603372

निवासी
नगला जुला, मैनपुरी

पत्रांक - २१०

दिनांक - 1/7/२०२५

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत औडेन्य पड़रिया विकास खण्ड मैनपुरी

जनपद मैनपुरी



आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान पंचायत औडेन्य पड़रिया जनपद मैनपुरी की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थय होंगे मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए समुदायिक सहभागिता के साथ साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत के कियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर का तथा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाएँगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइए हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	7
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ औड़ैन्य पड़रिया में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित संस्तुतियाँ	12
	1. सतत कृषि	13
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	19
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	24
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	29
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	35
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	45
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	49
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	53
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	59
8	आगे की राह	66
9	अनुलग्नक	67

चित्र

चित्र 1	: औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत, मैनपुरी ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: औड़ैन्य पड़रिया में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1994-2018	5
चित्र 3	: औड़ैन्य पड़रिया में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1994-2018	6
चित्र 4	: औड़ैन्य पड़रिया में परिवारों की आय के स्रोत	6
चित्र 5	: औड़ैन्य पड़रिया में वार्षिक आय के आधार पर परिवारों का वितरण	7
चित्र 6	: औड़ैन्य पड़रिया में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7	: औड़ैन्य पड़रिया में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: औड़ैन्य पड़रिया में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9	: औड़ैन्य पड़रिया में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10	: 2022 में औड़ैन्य पड़रिया में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11	: 2022 में औड़ैन्य पड़रिया के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। औड़ैन्य पड़रिया की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/ प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जो लचीला बनाने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है, साथ ही अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त प्राप्त होते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्य योजना तैयार की गई है। औड़ैन्य पड़रिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से जोड़ा किया जा सकता है।

यह कार्ययोजना प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। उक्त कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और औड़ैन्य पड़रिया के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान बताया गया है कि ग्राम पंचायत में 1 राजस्व गांव और 14 मजरे। 2,105 घर हैं जिनकी

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आँकड़े आँकड़े को एकत्र करना : पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण:

- ग्राम पंचायत के रूपरेखा तैयार करना : सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और औड़ैन्य पड़रिया में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित है।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट अनुमान: औड़ैन्य पड़रिया में प्रमुख गतिविधियों के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था।
- प्रस्तावित गतिविधियाँ: पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर औड़ैन्य पड़रिया के लिए संस्तुतियाँ तैयार की गईं। दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क क्षेत्र की मौजूदा कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, औड़ैन्य पड़रिया की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं - बिजली की खपत, घरों में खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं।

कुल आबादी² 15,940 है। यहां की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~5,486 tCO₂e³ है।

औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:

- सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों सहित सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना और जलवायु अनुकूल फसलें उगाना (गेहूँ और धान की सूखा सहने वाली किस्में, बाजरा जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें, आदि)
- जल निकायों की बहाली और संरक्षण के माध्यम से सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, साथ ही वर्षा जल संचयन और अन्य जल पुनर्भरण विधियों को बढ़ावा देना
- बायोगैस और सौर चूल्हे जैसे सतत विकल्पों के साथ ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता समाधानों का उपयोग करना जैसे कि सौर छतों की स्थापना, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्सचर आदि।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां/संस्तुतियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों/संस्तुतियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित क्षेत्रों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और बेहतर आजीविका और हरित उद्यमशीलता जैसे विषयगत क्षेत्र शामिल हैं।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - चरण। (2024-2027), चरण।। (2027-2030) और चरण।।। (2030-2035)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक पर वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते चरणबद्ध लक्ष्यों, संभावित लागतों और सहायक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ इंगित किए गए हैं।

औड़ैन्य पड़रिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सीएसजीपीएपी निम्नलिखित द्वारा औड़ैन्य पड़रिया जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

1. औड़ैन्य पड़रिया के जलवायु परिपेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना
2. जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों को जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जोड़ना

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को औड़ैन्य पड़रिया जीपीडीपी की नियोजित गतिविधियों के साथ अभिसरण में लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा बजटीय आवंटन का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकायों के पुनरुद्धार से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची के "गैर-परंपरागत ऊर्जा" विषय (जीपीडीपी के आधार पर) के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष ~5,722 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO₂e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,30,000 tCO₂ तक बढ़ जाती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹62 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है। इसमें से आवश्यक वित्तपोषण का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹19 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध वित्त के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

2 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 9,685


3 इसमें जीपी के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा 2 शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



औड़ैन्य पड़रिया

औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत एक नज़र में†

	स्थान	मैनपुरी ब्लॉक, मैनपुरी जिला		जल संसाधन	12 तालाब 4 कुएं
	कुल क्षेत्रफल	1,248 हेक्टेयर		कृषि- जलवायु क्षेत्र⁶	<ul style="list-style-type: none"> दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ: आमतौर पर अर्ध-शुष्क से लेकर उप-आर्द्र, गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ अधिकतम तापमान: 47°C न्यूनतम तापमान: 4°C औसत वार्षिक वर्षा: 662 मिमी मिट्टी का प्रकार: जलोढ़ उपयुक्त फसलें: गेहूं और दालें
	संरचना	1 राजस्व गांव और 14 मजरे			
	कुल जनसंख्या⁴	15,940			
	पुरुषों की संख्या	7,310			
	महिलाओं की संख्या	6,960			
	कुल परिवार⁵	2,105			
	पंचायत अवसंरचना	18 - (पंचायत भवन, 10 प्राथमिक विद्यालय, 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र)		जिले की समग्र संवेदनशीलता	बहुत अधिक
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि		जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता⁷	<ul style="list-style-type: none"> वन संवेदनशीलता: बहुत अधिक ऊर्जा संवेदनशीलता: उच्च जल संवेदनशीलता: मध्यम आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता: मध्यम ग्रामीण विकास संवेदनशीलता: मध्यम कृषि संवेदनशीलता: कम स्वास्थ्य संवेदनशीलता: कम
	भूमि उपयोग	737.2 हे. कृषि भूमि ~ 6 हे. सार्वजनिक भूमि ~ 1.6 हे. निजी बागान 503 हे. अन्य भूमि			


† योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण से डेटा (मार्च-अप्रैल, 2023)

4 जनगणना 2011 आंकड़ें: कुल जनसंख्या 9,685; पुरुष- 5,063; महिला- 4,622

5 2,093 पक्के मकान और 12 कच्चे मकान (मिट्टी और धातु शीट)

6 उ०प्र० कृषि विभाग


7 उ०प्र० एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत, मैनपुरी ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र


जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़े - तापमान और वर्षा - 2018 में वार्षिक औसत अधिकतम तापमान 1994 की तुलना में 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1994 की तुलना में, 2018 में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई (चित्र 2 देखें)। उसी समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई दी (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी के आंकड़े ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं एवं ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।



चित्र 2: औड़ैन्य पड़रिया में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1994-2018

- तापमान और वर्षा के आंकड़े फरुखाबाद (फतेहगढ़) मौसम निगरानी स्टेशन से लिए गए हैं, जो औड़ैन्य पड़रिया, मैनपुरी के सबसे नजदीकी स्टेशन था, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध था।
- 2008 और 2009 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है



चित्र 3: औड़ेंय पड़रिया में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1994-2018


विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2023 के बीच वैश्विक भूमि और महासागर औसत की तुलना में एशिया समग्र रूप से तेजी से गर्म हुआ है और वर्ष 2010-2020¹⁰ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹¹ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹² द्वारा भी की गई है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 30 दिनों की वृद्धि देखी गई है। सर्दियों के दिनों की संख्या लगभग 30 दिन बढ़ गयी। वर्षा के दिनों की संख्या में भी लगभग 40 दिन की कमी आई है। ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता का एक संतुलित दृष्टिकोण सामने लाने के लिए आईएमडी के आंकड़ों के साथ-साथ सामुदायिक धारणा दोनों को शामिल किया गया।

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

औड़ेंय पड़रिया आय का प्राथमिक स्रोत कृषि है, जिसमें लगभग 44 प्रतिशत परिवार लगे हुए हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद पशुपालन (~ 23 प्रतिशत) और सेवा क्षेत्र (~ 17 प्रतिशत) में लगे हुए हैं। कुछ अन्य परिवार गैर-कृषि से संबंधित मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय चलाने में लगे हुए हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण से घरेलू स्तर की आय के अनुमान से पता चला है कि 35 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹2,00,000-₹5,00,000 कमाते हैं, और 25 प्रतिशत परिवार ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं। सर्वेक्षण के समय, 3 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) थे। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि 67 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से 70 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं¹³ (चित्र 6 देखें)।




चित्र 4: औड़ेंय पड़रिया में परिवारों की आय के स्रोत

10 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)


11 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

12 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | (<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>)

13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)




चित्र 5: औड़ैन्य पड़रिया में वार्षिक आय के आधार पर परिवारों का वितरण



चित्र 6: औड़ैन्य पड़रिया में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

औड़ैन्य पड़रिया में लगभग 407 कामकाजी महिलाएँ हैं जो ज़्यादातर कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न हैं। कुछ महिलाएँ सेवा क्षेत्र में शामिल हैं, मज़दूरी करती हैं और स्थानीय व्यवसाय चलाती हैं। ग्राम पंचायत में 150 महिला-प्रधान परिवार (कुल परिवारों का लगभग 7 प्रतिशत) हैं¹⁴। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि 8 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं जो ज़्यादातर कृषि और जैम और अचार के उत्पादन में लगे हुए हैं।



चित्र 7: औड़ैन्य पड़रिया में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या


कृषि

औड़ैन्य पड़रिया में लगभग 44 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं जैसा कि चित्र 4 में देखा गया है। वे परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में संलग्न¹⁵ हैं। (चित्र 8 देखें)


औड़ैन्य पड़रिया में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 737.2 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र लगभग 1,375 हेक्टेयर है (चित्र 9 देखें)। इस ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान, मक्का, उड़द दाल और मूंग दाल हैं। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, सरसों, आलू हैं। यहाँ कुछ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। सिंचाई का मुख्य स्रोत भूजल (ट्यूबवेल और नहरों के माध्यम से) है। इस ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े 20 इलेक्ट्रिक पंप और 65 डीजल पंप उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, इस ग्राम पंचायत की केवल 23 प्रतिशत आबादी पशुपालन में लगी हुई है। औड़ैन्य पड़रिया में कुल पशुधन की संख्या 1,930 (550 गाय, 950 भैंस, 300 बकरियाँ, 100 भेड़ और 30 सुअर) हैं। इसके अलावा, ग्राम पंचायत में 1,000 मुर्गीपालन पक्षी भी हैं।

14 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार होते हैं जहाँ महिलाएं एकमात्र/प्राथमिक कमाने वाली होती हैं

15 यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से खेती में लगे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मीन के मालिक बड़े खेतों पर मज़दूरी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा, बड़े ज़मीन के मालिक किसान अनुबंध खेती भी कर सकते हैं



चित्र 8: ओड़िश्य पड़रिया में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 9: ओड़िश्य पड़रिया में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, ओड़िश्य पड़रिया में 12 तालाब और 4 कुएं हैं। स्कूलों, मंदिर परिसरों और सड़कों के किनारे सामाजिक/कृषि वानिकी वृक्षारोपण किया गया है। आमतौर पर जुलाई माह में वृक्षारोपण किया जाता है और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन के माध्यम से लागू किया गया है। आम तौर पर लगाए जाने वाले वृक्षों में शहजन, अमरूद, शीशम और करौंदा (10% की उत्तरजीविता दर के साथ)¹⁶ शामिल हैं। ग्राम पंचायत में लगभग 8 निजी वृक्षारोपण हैं जो लगभग 1.6 हेक्टेयर¹⁷ क्षेत्र को कवर करते हैं; यहाँ ज्यादातर आम, अमरूद, लीची, आदि फलों के पेड़ उगाए जाते हैं।

16 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार

17 पंचायत सचिव से चर्चा के दौरान मिली जानकारी के अनुसार

औड़ैन्य पड़रिया में सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस

- बिजली की पहुंच: ~ 76% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन: ~ 98% परिवार¹⁸



पेयजल

- घरेलू उपयोग और जीपी स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- सभी घरों के लिए पाइप से पानी का कनेक्शन चालू है¹⁹
- हैंडपंप- 270 (सरकारी); 500 (निजी)



अपशिष्ट

- खुले में शौच (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त किया गया
- घरेलू शौचालय कवरेज²⁰: ~76 %

आवागमन एवं बाज़ार तक पहुँच

- स्टेट हाईवे 83 (मैनपुरी-इटावा) से कनेक्टिविटी 1.5 किमी की दूरी पर है
- रेलवे स्टेशन 7 किमी की दूरी पर है
- बस स्टेशन 7 किमी की दूरी पर है
- कृषि मंडी 7 किमी की दूरी पर है
- डाकघर 0.1 किमी की दूरी पर है



शैक्षिक संस्थान

- 10 प्राथमिक विद्यालय
- 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय



स्वास्थ्य संस्थान

- 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र




18 जैसा कि पंचायत सचिव द्वारा बताया गया

19 जैसा कि पंचायत सचिव द्वारा बताया गया; जबकि जीपी वर्तमान में दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैंडपंप पर निर्भर है, पानी की पाइप और ओवरहेड टैंक का निर्माण शुरू किया गया है

20 सर्वेक्षण के समय, निर्मल भारत अभियान के तहत अतिरिक्त 500 शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था

ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रेखा विकसित करना था। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, अपितु एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, प्रस्तावित गतिविधियों से उत्सर्जन में कमी के भी लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट लाइफ मिशन के सिद्धांतों के साथ संरेखित सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियां प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2022 में, औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत ने गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला से लगभग 5,486 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 10 देखें)।



चित्र 10: 2022 में औड़ैन्य पड़रिया में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों का औड़ैन्य पड़रिया के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से होने वाले उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने से होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन में बिजली की खपत²¹, खाना पकाने के लिए लकड़ी और एलपीजी का उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, बिजली बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग शामिल है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

कृषि क्षेत्र से होने वाले कार्बन के उत्सर्जन का औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत के कुल उत्सर्जन में लगभग 61 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें धान की खेती (~1,871 tCO₂e) और पशुधन उत्सर्जन (~1,031 tCO₂e) से होने वाले उत्सर्जन जीएचजी उत्सर्जन के प्रमुख कारण थे। ऊर्जा क्षेत्र का कुल उत्सर्जन का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा है। इस क्षेत्र के भीतर परिवहन श्रेणी (~1,228 tCO₂e) प्रमुख उत्सर्जक थी, इसके बाद आवासीय खाना पकाने (~153 tCO₂e), डीजल पंप (~68 tCO₂e) और बिजली की खपत (~62 tCO₂e) का स्थान था।



चित्र 11: 2022 में औड़ैन्य पड़रिया के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

21 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है।

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के लिए किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे:

- मौसमी अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा से बुवाई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की बढ़ती ज़रूरतें प्रभावित होती हैं
- अगस्त से सितंबर में अक्सर जलभराव की समस्याएँ। 2018-2022 की अवधि में हर साल सूखे का अनुभव किया
- अस्थाई कृषि और पशुपालन की पद्धतियाँ
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों, कुओं और तालाबों में अपशिष्ट फेंका जाता है
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव, जिसके कारण ग्राम पंचायत में तालाबों और कुओं की संख्या में कमी आई है
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- सड़क अवसंरचना का अनुचित रखरखाव गतिशीलता में बाधा डालता है और जलभराव की समस्या से और भी बढ़ जाती है
- जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। सुझावों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²² (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण-I (2024-25 से 2026-27); चरण-II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत सुझाव/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. सतत कृषि
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें, उन्हें मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

22 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान, या आवश्यक जानकारी की प्रति इकाई अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



1. सतत कृषि

संदर्भ और मुद्दे²³

- औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 737.2 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग ~ 1,375 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में लगभग 44 प्रतिशत परिवार कृषि पद्धतियों पर निर्भर हैं और लगभग 23 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पद्धतियों पर निर्भर हैं।
- इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फ़सलें धान (550 हेक्टेयर), गेहूँ (500 हेक्टेयर), आलू (150 हेक्टेयर), सरसों (120 हेक्टेयर) और मक्का (20 हेक्टेयर) हैं। यहाँ उड़द दाल (10 हेक्टेयर) और मूंग दाल (15 हेक्टेयर) जैसी दालें भी उगाई जाती हैं। 10 हेक्टेयर भूमि पर सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं।
- औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत में मौसमी अवधि में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन (बेमौसम और अनियमित) की घटनाएँ देखी गई हैं। ग्राम पंचायत ने 2018-2022 की अवधि (ज्यादातर जून-अगस्त के दौरान) में हर साल सूखे का अनुभव किया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, मानसून के देर से आने के कारण धान की बुआई का मौसम जून की शुरुआत से जुलाई में बदल गया है। इसी तरह, सर्दियों के देर से आने के कारण गेहूँ की बुआई अब अक्टूबर से नवंबर में बदल गई है।
- प्रति वर्ष किसान लगभग 160 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष लगभग 278 tCO₂e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य रासायनिक इनपुट पर भी निर्भर हैं।
- औड़ैन्य पड़रिया में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में बताया गया है कि कृषि जल उपयोग में वृद्धि हुई है, जिससे जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं

23 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



कृषि में जलवायु लचीलापन का निर्माण करना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> उपयुक्त कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और इसे अपनाना²⁴ कृषि क्षेत्रों के चारों ओर वृक्षों से मेड़बंधी का निर्माण फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए धान की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और प्रत्यक्ष बीजित चावल को अपनाना गेहूं की सूखा सहनशील किस्म को अपनाना बाजरा फसलों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र जहाँ संभव हो, वहाँ कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना किसानों को फसल हानि से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार मेड़बंधी का विस्तार करना आवश्यकतानुसार अधिक कृषि तालाबों का निर्माण धान और गेहूं की सूखा सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण। की गतिविधियों का विस्तार करना फसल चक्र और सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे बाजरा और फलियां के साथ मिश्रित फसल उगाना जागरूकता बढ़ाना जारी रखना और फसल नुकसान से बचाने के लिए किसानों को विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार चावल और गेहूं की सूखा सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण। की गतिविधियों का विस्तार करना
	<ol style="list-style-type: none"> 84 हेक्टेयर (30%) उपयुक्त कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई ~368 हेक्टेयर (50%) कृषि भूमि मेड़बंधी का निर्माण करना जहां तक संभव हो और आवश्यकतानुसार 300 m³ क्षमता वाले कृषि तालाबों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 112 हेक्टेयर (कुल 70%) उपयुक्त कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई शेष 368 हेक्टेयर कृषि भूमि के चारों ओर मेड़बंधी का निर्माण करना (100%) 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 84 हेक्टेयर उपयुक्त कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई (संचयी 100%) मेड़बंधी और खेत तालाबों का रखरखाव किया जाना

²⁴ उपयुक्त कृषि भूमि में सरसों, आलू और अन्य सब्जियों के अंतर्गत आने वाली भूमि शामिल है; सरसों, आलू और अन्य सब्जियों के अंतर्गत आने वाली भूमि: ~ 280 हेक्टेयर

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹84,00,000 मेड़बंधी पर लागत: लगभग ₹4,07,250 300 m³ क्षमता वाले 1 खेत तालाब की लागत: ₹90,000 कुल लागत: ₹88,07,250 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई पर लागत : ₹1,12,00,000 मेड़बंधी पर लागत: लगभग ₹4,07,250 खेत तालाब पर लागत: आवश्यकतानुसार लागत कुल लागत: ₹1,16,07,250 	<p>सूक्ष्म सिंचाई: ₹84,00,000 कुल लागत: ₹84,00,000</p>
---	---	--



प्राकृतिक खेती को अपनाना

चरण

I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। <ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना बाजार संपर्कों का पता लगाया जाना मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना सिंचित खेतों में वाष्पीकरण से होने वाली हानि को कम करने के लिए मल्लिंग का उपयोग कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण (एईएसए) आधारित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)²⁵ रणनीतियों को बढ़ावा देना 	<p>चरण I की गतिविधियाँ जारी</p>	<p>चरण I की गतिविधियाँ जारी</p>

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

25 <https://nipm.gov.in/IPMPackages/Mango.pdf>

लक्ष्य	~111 हेक्टेयर (15%) भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना	अतिरिक्त ~ 184 हेक्टेयर (संचयी 40%) भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना	शेष 442 हेक्टेयर (संचयी 100%) भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना
	1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,73,24,318 कुल लागत: ₹2.73 करोड़	1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹4,55,40,530 कुल लागत: ₹4.56 करोड़	1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹10,92,97,272 कुल लागत: ₹10.9 करोड़



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I	II	III
	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना 3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।	1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना	1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना
	1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन पद्धतियों, रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं 2. पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण ²⁶	1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं 2. पशुधन प्रबंधन के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं 2. पशुधन प्रबंधन के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
लक्ष्य	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत			

26 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ०प्र० बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और पूर्णिक प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।²⁷

वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना और संचालन: कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार संपर्क और मौसम आधारित सूचना सेवाएं आदि के बारे में जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, अंततः जैविक खेती में बदलाव, सूखे से बचाव वाली कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अलावा, औद्योगिक पड़रिया में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

27 <https://upldb.up.gov.in/state.html>

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, मैनपुरी



2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे²⁸

- ग्राम पंचायत औड़ैन्य पड़रिया में पानी का प्राथमिक स्रोत भूजल है। घर-परिवार पानी के लिए हैंडपंप²⁹ पर भी निर्भर हैं। ग्राम पंचायत में 270 सरकारी और 500 हैंडपंप हैं।
- ग्राम पंचायत में 12 तालाब³⁰ और 4 कुएं हैं। हालांकि, इन तालाबों और कुओं का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है और वे गाद, मलबे, खरपतवार और प्लास्टिक से भरे हुए हैं। इनमें से एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है। समुदाय ने बताया³¹ कि औड़ैन्य पड़रिया में 29 तालाब थे, जिनमें से 17 अनुचित प्रबंधन के कारण खत्म हो गए हैं।
- औड़ैन्य पड़रिया में जलभराव एक प्रमुख चिंता का विषय है, खासकर मानसून के मौसम में - अगस्त से अक्टूबर तक। अकुशल और खराब तरीके से बनाए गए जल निकासी ढांचे के कारण यह और भी बदतर हो जाता है।
- औड़ैन्य पड़रिया सिंचाई के लिए ज्यादातर मौसमी जल स्रोतों पर निर्भर है और निवासियों ने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है।

भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं, जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की भरपाई के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। औड़ैन्य पड़रिया में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और पानी की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

28 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

29 पंचायत सचिव के साथ चर्चा से पता चला कि घरों में पाइप जल कनेक्शन के लिए काम शुरू किया गया था। इस कार्य में ग्राम पंचायत में 3 ओवरहेड टैंकों का निर्माण भी शामिल था

30 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें

31 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी



जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों की सफाई करना, गाद निकालना और चारों ओर बाड़ लगाना/मेड़बंधी करना। 2. हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एवं मरम्मत 3. मौजूदा हैंडपंप की मरम्मत 4. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण 5. जल के उचित उपयोग और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों का नियमित रखरखाव किया जाना 2. कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव किया जाना 3. तालाब के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण 4. समुदाय और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण कार्य 	तालाबों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 तालाबों की सफाई और गाद निकालने का कार्य 2. 4 कुओं की सफाई और मरम्मत का कार्य 3. 27 हैंडपंपों की रिबोरिंग 4. 90 हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य 5. तालाबों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 तालाबों का रखरखाव किया जाना 2. 4 कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव 3. तालाबों के आसपास 1,000 अतिरिक्त पेड़ों का रोपण 	12 तालाबों का रखरखाव

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> तालाबों की सफाई और गाद निकालना: ₹84,00,000 कुओं की सफाई और मरम्मत: ₹3,00,000³² हैंडपंपों की रिबोरिंग: ₹10,26,000 हैंडपंपों की मरम्मत: ₹2,70,000 जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल कुल लागत: ₹99.96 लाख 	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों का रखरखाव: ₹45,00,000 कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव: आवश्यकतानुसार जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित क्षेत्र और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल कुल लागत: ₹45 लाख 	<p>तालाबों का रखरखाव: ₹45,00,000 कुल लागत: ₹45 लाख</p>
--	--	--



जल निकासी के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> नई नालियों का निर्माण मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालना और मरम्मत 	चरण I की गतिविधियाँ जारी	चरण I की गतिविधियाँ जारी	
<ol style="list-style-type: none"> 17 स्थानों पर नालियों का निर्माण, जिनकी कुल लंबाई लगभग 3.75 किमी³³ होगी 8 किमी मौजूदा नालियों की सफाई (कुछ स्थानों पर नालियों को गहरा करना भी शामिल है) 	ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव	ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव	

32 एक कुएं की सफाई और मरम्मत की अनुमानित लागत ₹75,000 मानी गई है, जैसा कि एक अन्य ग्राम पंचायत (जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत, एटा जिले) के एचआरवीसीए में दर्शाया गया है

33 नालियों (नयी एवं मौजूदा) के सटीक स्थान के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> नालियों का निर्माण: ₹3,00,000 मौजूदा नालियों की सफाई: ₹6,50,000 <p>कुल लागत: ₹86 लाख</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) पद्धतियाँ

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज पिट के निर्माण का कार्य सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों (जहां वर्षा का जल एकत्र होता है) में अधिक रिचार्ज पिट की खुदाई सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना
अनुमानित लागत लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सभी पंचायती राज संस्थाओं के भवनों में आरडब्ल्यूएच- 10 m³ भंडारण क्षमता के रिचार्ज पिट की स्थापना आवश्यकतानुसार भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज पिट 	<ol style="list-style-type: none"> लगभग 837 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच ढांचों की स्थापना आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज पिट का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> लगभग 1,256 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच संरचनाएं स्थापित की जाएंगी रिचार्ज पिट का रखरखाव
	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: 18 इकाइयों के लिए ₹6,30,000 रिचार्ज पिट: आवश्यकतानुसार कुल लागत: ₹6,30,000 	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: ~ 837 इकाइयों के लिए ₹2,92,95,000 रिचार्ज पिट: आवश्यकता के अनुसार लागत कुल लागत: ₹2.92 करोड़ 	<p>आरडब्ल्यूएच: ~ 1,256 इकाइयों के लिए ₹4,39,60,000</p> <p>कुल लागत: ₹4.39 करोड़</p>

वर्तमान संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के तहत उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट को जीपी स्तर के जल निकाय संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के तहत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रखरखाव और रखरखाव में योगदान देने के लिए 'एक जल निकाय को अपना' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे³⁴

- यहाँ स्कूलों, मंदिर परिसरों और सड़कों के किनारे सामाजिक/कृषि वानिकी वृक्षारोपण किया गया है। लगभग 25,000 वृक्षारोपण किए गए हैं, जिनकी उत्तरजीविता दर 10 प्रतिशत है³⁵
- औड़ैन्य पड़रिया में वृक्षारोपण लगभग 1.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि अधिकांशतः निजी है। यहाँ उगाए जाने वाले आम वृक्षों में शाहजान, अमरूद, शीशम, करोंदा, आम, लीची³⁵ आदि शामिल हैं।
- औड़ैन्य पड़रिया में कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है।

जबकि ये गतिविधियाँ औड़ैन्य पड़रिया में की जा रही हैं, कुछ आम भूमि की उपलब्धता के साथ औड़ैन्य पड़रिया में हरित क्षेत्र को बढ़ाने की और भी संभावना है। इससे न केवल तापीय सुविधा में सुधार होगा और छाया मिलेगी, बल्कि ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अतिरिक्त, दीर्घावधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

34 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

35 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया



हरित आवरण में सुधार

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न प्रयासों/पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ³⁶: <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³⁷ (5 छात्र चयनित) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों³⁸, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा वृक्षारोपण को संरक्षित रखना बाल वन³⁹ के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आरोग्य वन की स्थापना करना 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव करना ~ 81 हेक्टेयर भूमि पर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) कृषि-वानिकी करना आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना
	<ol style="list-style-type: none"> आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को ट्री गार्ड के उपयोग से जीवित रखना। रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 5,600 टन CO₂ से 10,000 टन CO₂ होना अनुमानित आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 1,500 से 2,000 पौधे लगाया जाना 15-20 वर्षों में 9,800 टन CO₂ से 17,500 टन CO₂e तक की पृथक्करण क्षमता ~60 हेक्टेयर भूमि (कृषि वानिकी⁴⁰ के लिए उपयुक्त भूमि का 40%) में कृषि वानिकी को अपनाना, 6,000 पेड़ लगाए जाना 20 वर्षों में सागौन के बागानों की पृथक्करण क्षमता : 33,600 टन CO₂ से 60,000 टन CO₂ 	<ol style="list-style-type: none"> 1,500 से 2,000 पौधे रोपे गए 15-20 वर्षों में CO₂ को 9,800 टन से 17,500 टन तक पृथक्करण क्षमता कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी ~90 हेक्टेयर में कृषि वानिकी को अपनाना और 9,000 पेड़ लगाए जाना 20 वर्षों में सागौन के पौधों को पृथक्करण क्षमता: 50,400 टन CO₂ से 90,000 टन CO₂

36 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

37 विद्यालय के छात्रों को वृक्षारोपण में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ जीपी समुदाय को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे।

38 उपयुक्त प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं

39 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन के दौरान पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

40 आलू के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (लगभग 150 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी गई है

लक्ष्य		3. आरोग्य वन की स्थापना और रखरखाव 4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों की क्षमता निर्माण	3. आरोग्य वन को बनाए रखना और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी
	अनुमानित लागत वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000 कुल लागत: ₹12 लाख	1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000 2. कृषि वानिकी गतिविधियाँ: लगभग ₹24,00,000 कुल लागत: ₹43 लाख से ₹49 लाख	1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000 2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: लगभग ₹19,60,000 कुल लागत: ₹55 लाख से ₹61 लाख



नर्सरी स्थापित करना

चरण	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	1. स्वयं सहायता समूहों को नियुक्त करके ग्राम पंचायत के लिए नर्सरी स्थापित करना 2. नर्सरी के रखरखाव और संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना	नर्सरी का रखरखाव किया जाना	नर्सरी का रखरखाव किया जाना
लक्ष्य	ग्राम पंचायत की भूमि पर एक नर्सरी स्थापित करना, जिससे हरियाली बढ़ाने में मदद मिलेगी और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी मिलेगी ⁴¹	नर्सरी का रखरखाव किया जाना	नर्सरी का रखरखाव किया जाना
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹2,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

41 जैसा कि एचआरवीसीए में दिया गया है: एसएचजी (100 महिलाओं को शामिल किया जाएगा) की मदद से आंवला, आम, अमरूद, पपीता, करोंदा, जामुन जैसे 1,000 पेड़ों का व्यक्तिगत वानिकी कार्य।



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना लोगों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण पर लागत: ₹25,000 ⁴²		

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

⁴² जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

- बीएमसी के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ



4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे⁴³

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट लगभग ~1,275 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें लगभग 740 किलोग्राम प्रतिदिन जैविक अपशिष्ट तथा लगभग 612 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-जैविक अपशिष्ट है⁴⁴।
- क्षेत्र सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण का कार्य सीमित है
- ग्राम पंचायत में लगभग 76 प्रतिशत घरों में शौचालय है।
- कुल पशुधन जनसंख्या 1,930 (550 गाय, 950 भैंस, 300 बकरियाँ, 100 भेड़ और 30 सुअर) हैं तथा अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 20 टन प्रतिदिन है, जिसे खाद बनाने, केंचुआ खाद बनाने, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन⁴⁵ जैसे उपायों के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रबंधन किया जा सकता है। इतनी बड़ी पशुधन आबादी के साथ, बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के माध्यम से पशुधन अपशिष्ट का प्रबंधन करने का अवसर है (देखें “स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच” अनुभाग)।

इस पृष्ठभूमि में, 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

43 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

44 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

45 यह अनुमानित किया गया है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर और बकरियाँ प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I	II	III
	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना घरों से ग्राम पंचायत स्तर की भंडारण सुविधा तक कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन चयनित स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदानों की स्थापना पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण की सुविधा स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 2 इलेक्ट्रिक वाहन 2,105 घर (100%) ग्राम पंचायत के कचरा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत लाना चिन्हित स्थानों पर 14 कूड़ेदानों की स्थापना⁴⁶ 	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव (अपशिष्ट संग्रहण के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वाहन जोड़ना; आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना)	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
	<ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹2,10,000 25 कूड़ेदान: ₹42,000 कुल लागत: ₹2,52,000 	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
लक्ष्य			
अनुमानित लागत			

46 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें



जैविक कचरे का प्रबंधन

चरण	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नाडेप/वर्मिकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मिकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मिकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> विशिष्ट स्थानों पर 40 नाडेप गड्ढे और 20 वर्मिकम्पोस्ट गड्ढे की स्थापना⁴⁷ पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> खाद का उत्पादन और बिक्री कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना। खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना। खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत	<p>नाडेप और वर्मिकम्पोस्ट गड्ढों की लागत: ₹11,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹11,00,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

47 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I	II	III
	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ul style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल बनाना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक भागीदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक भागीदारी बढ़ाना
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाएगा (वर्तमान में SHG से जुड़ी 150 महिलाओं में से) 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध बनाए रखना इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में भागीदारी बढ़ी: <ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 200 महिलाएं अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी



स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 2. सामुदायिक शौचालयों का नियमित रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 3. सामुदायिक शौचालयों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	50 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण ⁴⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2. सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव किया जाना 	सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव किया जाना
अनुमानित लागत	50 शौचालयों के निर्माण की लागत: ₹6,00,000	1 सामुदायिक शौचालय के निर्माण की लागत: ₹3,00,000	आवश्यकतानुसार

48 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम


- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है;
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

संदर्भ एवं मुद्दे⁴⁹

- औड़ैन्य पड़रिया ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022-23 में लगभग 76,122 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत में लगभग 76 प्रतिशत घरों में बिजली की कनेक्टिविटी है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, निवासियों ने पाया कि बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। औसतन ग्राम पंचायत में हर दिन लगभग 8 घंटे बिजली कटौती होती है।
- तापदीप्त लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और अन्य कम दक्षता वाले विद्युत फिक्सचर और उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोग में है।
- ग्राम पंचायत में लगभग 200 एलईडी स्ट्रीट लाइट हैं, जिनमें से 25 सौर ऊर्जा से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (100 स्ट्रीट लाइट या 14 हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट) की आवश्यकता व्यक्त की है।
- लगभग 98 प्रतिशत घरों में रसोई गैस का कनेक्शन⁵⁰ है, लगभग 38 प्रतिशत घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।
- तापमान में वृद्धि के साथ, घरों में तापीय आराम का स्तर कम हो रहा है और सतत स्थान शीतलन समाधान की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित सुझाव/गतिविधियां औड़ैन्य पड़रिया में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

49 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

50 जैसा कि ग्राम प्रधान द्वारा रिपोर्ट किया गया



सोलर रूफटॉप की स्थापना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्वाइनेट स्मार्ट गतिविधियाँ	सभी सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप लगाना ⁵¹	1. सभी नए निर्माणों में सौर पैनल स्थापित किया जा सकेगा 2. पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित की जाएगी	1. सभी नए निर्माणों में सौर पैनल स्थापित किया जा सकेगा 2. पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित की जाएगी
लक्ष्य	<p>सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> पंचायत भवन (~93 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp 10 प्राथमिक विद्यालय (~1,420 वर्ग मीटर संयुक्त छत क्षेत्र उपलब्ध): 10 kWp 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय (~810 वर्ग मीटर संयुक्त छत क्षेत्र): 10 kWp सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (~93 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp <p>स्थापित कुल सोलर रूफटॉप क्षमता: 180 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 2,41,056 kWh प्रति वर्ष (~ 660 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाया गया: प्रति वर्ष लगभग 198 tCO₂e</p> <p>हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, यदि छतों पर सौर पैनल स्थापना का यह चरण शुरू किया जाए तो घर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।</p>	<p>837 (~40%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित करना⁵²</p> <p>सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित: 1,674 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~ 22,42,356 kWh प्रति वर्ष (6,143 यूनिट प्रति दिन)⁵³</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 1,839 tCO₂e प्रति वर्ष⁵⁴</p>	<p>शेष 1,256 (100% कवर) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित करना।</p> <p>सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित: 2,512 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~ 33,63,535 kWh प्रति वर्ष⁵⁵ (9,215 यूनिट प्रति दिन)।</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 2,758 tCO₂e प्रति वर्ष।</p>

51 पीआरआई भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की अधिकतम सीमा 10 किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम को स्थापित करने के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है (<https://upneda.org.in/faqs.aspx>)

52 घरों का औसत क्षेत्र 130 वर्ग मीटर माना जाता है; प्रति घर 3 किलोवाट क्षमता रूफटॉप स्थापना का अनुमान है

53 यह उत्पादन जीपी में वर्तमान बिजली खपत से कई गुना अधिक है

54 इस उत्सर्जन से बचने से जीपी को कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

55 यह उत्पादन जीपी में वर्तमान बिजली खपत से कई गुना अधिक है

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹25,00,000 (₹50,000/kWp)	कुल लागत: ₹8,37,20,000 संकेतक सब्सिडी ⁵⁶ : ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹5.02 करोड़	कुल लागत: ₹12,55,80,000 संकेतक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹7.53 करोड़



कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना।	उपयुक्त कृषि भूमि पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत भूमि)	उपयुक्त कृषि भूमि पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत भूमि)
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र आयोजित करना	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5,00,00,000 ⁵⁷	कुल लागत: ₹5,00,00,000

56 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

57 प्रौद्योगिकी/तकनीक में प्रगति के साथ, कृषि-फोटोवोल्टिक की लागत कम होती जा रही है। हालाँकि, उच्चतर पक्ष पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी मौजूदा डीजल पंप सेट (65) को सौर पंपों से बदलना* सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेटों के लिए प्रोत्साहित करना <p>*यदि सौर पंप व्यवहार्य न हों तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।</p>	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में सभी ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सोलराइजेशन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना 	सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	<p>स्थापित क्षमता: 358 kW</p> <p>सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: 4,78,764 kWh घंटा प्रति वर्ष (~1,312 यूनिट प्रति दिन)।</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 25,350 लीटर/वर्ष</p> <p>उत्सर्जन में कमी: 84 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े 20 (100%) विद्युत पंपों का सौरीकरण	
अनुमानित लागत	<p>कुल लागत: ₹1,95,00,000 से ₹3,25,00,000</p> <p>(₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 HP सोलर पंप)</p> <p>संकेतक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य + सीएफए)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹78 लाख से 1.3 करोड़</p>		



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p> <p>सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एल.पी.जी.</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p> <p>सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।</p>
	<p>परिदृश्य 1: 181 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (मवेशी रखने वाले परिवारों में से ~25% के लिए बायोगैस स्थापित)</p> <p>परिदृश्य 2: 316 परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (उच्च आय वर्ग के ~25% परिवारों के पास सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हों का उपयोग)</p> <p>परिदृश्य 3: 200 परिवार (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले ~25% परिवार उन्नत चूल्हों का उपयोग)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।</p>	<p>परिदृश्य 1: 181 अतिरिक्त परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल मिलाकर ~50% मवेशी रखने वाले परिवार)</p> <p>परिदृश्य 2: 316 अतिरिक्त परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (उच्च आय वर्ग के कुल मिलाकर ~50% परिवारों के पास सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हों का उपयोग)</p> <p>परिदृश्य 3: 200 अतिरिक्त परिवार (कुल मिलाकर ~50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करके उन्नत चूल्हों का उपयोग)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरन्तर उपयोग भी शामिल है (सभी 2,063 घरों में एलपीजी कनेक्शन)</p>	<p>परिदृश्य 1: 363 अतिरिक्त परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (100% मवेशी रखने वाले परिवार)</p> <p>परिदृश्य 2: 632 अतिरिक्त परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (उच्च आय वर्ग के 100% परिवारों में सौर प्रेरण चूल्हों का उपयोग)</p> <p>परिदृश्य 3: 400 अतिरिक्त परिवार (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% परिवार उन्नत चूल्हों का उपयोग)</p>
	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹90,62,500 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन चूल्हों के लिए ₹1,42,08,750</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹6,00,000</p> <p>सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹79.57 लाख</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹90,62,500 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन चूल्हों के लिए ₹1,42,08,750</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹6,00,000</p> <p>सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹79.57 लाख</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹1,81,25,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन चूल्हों के लिए ₹2,84,17,500</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹12,00,000</p> <p>सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹1.59 करोड़</p>



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	<ol style="list-style-type: none">सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना।सभी घरों में कम से कम 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाना चाहिए या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को एलईडी ट्यूबलाइट से बदला जाना।निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।	<ol style="list-style-type: none">घरों में सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना चाहिए और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना।कम से कम एक पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना।निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।	सभी घरों में सभी पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना।
	<ol style="list-style-type: none">सभी सरकारी इमारतों में सभी ट्यूब लाइट और पंखे (लगभग 100 ट्यूब लाइट और 50 पंखे) बदले जानाघरों में 2,105 एलईडी ट्यूब लाइट लगाया जाना⁵⁸ (प्रत्येक घर में 1 ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट लगाई जाएगी) और घरों में 2,105 एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे (प्रत्येक घर में 1 ऊर्जा कुशल बल्ब लगाया जाना)	<ol style="list-style-type: none">सभी घरों में अतिरिक्त 492 एलईडी बल्ब और 492 ट्यूब लाइट लगाना (प्रत्येक घर में 4 बल्ब और 4 ट्यूब लाइट बदला जाना)प्रत्येक घर में 2,105 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए गए (प्रत्येक घर में 1 पंखा बदला जाना)⁵⁹	सभी घरों में अतिरिक्त 2,105 ऊर्जा कुशल पंखे लगाना (प्रत्येक घर में 1 पंखा बदला जाना)

58 ग्राम प्रधान से प्राप्त इनपुट के आधार पर, यह माना जाता है कि प्रत्येक घर में 5 लाइटों और 2 पंखे हैं

59 ग्राम प्रधान से प्राप्त इनपुट के आधार पर, यह माना जाता है कि प्रत्येक घर में 2 पंखे हैं

अनुमानित लागत

एलईडी बल्ब की कीमत: ₹1,47,350	एलईडी बल्ब की कीमत: ₹5,89,400	ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹23.36 लाख
एलईडी ट्यूबलाइट की कीमत: ₹4,85,100	एलईडी ट्यूबलाइट की कीमत: ₹18,52,400	
ऊर्जा कुशल पंखों की कीमत: ₹55,500	ऊर्जा कुशल पंखों की कीमत: ₹23,36,550	
कुल लागत: ₹6,87,950	कुल लागत: ₹47.78 लाख	



सौर स्ट्रीट लाइट

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना ⁶⁰	सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना	नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना
लक्ष्य	प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, जल निकाय) पर 10 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना या सड़कों और रास्तों के किनारे 15 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	1. आवश्यकतानुसार प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना 2. आवश्यकतानुसार सड़कों और रास्तों के किनारे अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना
अनुमानित लागत	हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹5,00,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹7,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

60 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जीपी से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁶¹ प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - » संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को⁶² मोड में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)। केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यू) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यू हेतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁶³ के अंतर्गत की जा सकती है। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 kW और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत : किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत : एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁶⁴:
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

61 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

62 थर्ड पार्टी (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

63 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

64 EESL द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। लिंक

- ग्राम उजाला योजना⁶⁵ :
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁶⁶। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁶⁷।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति⁶⁸ 2022 सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m³ /दिन है⁶⁹

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।

65 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे (फरवरी 2023), पीआईबी। लिंक

66 जैसे कि फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

67 <https://pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=1883926>

68 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

69 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ एवं मुद्दे⁷⁰

- कुल 1,285 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 1,050 दोपहिया वाहन, 150 कारें, 15 ऑटोरिक्शा और 70 जीप। इसके अलावा, कृषि मशीनरी के रूप में वर्गीकृत वाहन हैं जैसे ट्रैक्टर (70) और हार्वेस्टर (2)। इसके अतिरिक्त, जीपी में 35 ई-रिक्शा हैं।⁷¹
- आईसीई वाहनों के अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि औद्योगिक पड़रिया के पास लगभग 110 इलेक्ट्रिक वाहन (100 दोपहिया वाहन और 10 कारें) हैं।⁷²
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन की खपत लगभग ~214 किलोलीटर पेट्रोल और 267 किलोलीटर डीजल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण 2022 में ~1,228 टन CO₂e उत्सर्जन हुआ है।
- इसके अलावा, मुख्य सड़कों के साथ-साथ आंतरिक सड़कों/पथों की खराब स्थिति और पहुंच पर क्षेत्र सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चाओं के दौरान समुदाय द्वारा प्रकाश डाला गया।

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव की काफी संभावना है।

70 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

71 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त इनपुट के अनुसार

72 जैसा कि पंचायत सचिव द्वारा रिपोर्ट किया गया है इन वाहनों को ज्यादातर घरेलू स्तर पर चार्ज किया जाता है क्योंकि कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है



मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में पहुंच और गतिशीलता में सुधार के लिए आरसीसी/इंटरलॉकिंग और अन्य कोई मरम्मत कार्य आवश्यक है	सड़क का नियमित रखरखाव किया जाना और आवश्यकतानुसार बुनियादी ढांचे और मरम्मत कार्य करना	सड़क का नियमित रखरखाव किया जाना और आवश्यकतानुसार बुनियादी ढांचे और मरम्मत कार्य करना
लक्ष्य	कुल 3.35 किलोमीटर ⁷³ लम्बी सड़क निर्माण का कार्य	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत	सड़क निर्माण कार्य पर लागत: ₹1,25,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना। उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना (आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना वाले अनुभाग में वर्णित) 	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना

73 सटीक स्थान के लिए एचआरवीसीए देखें

लक्ष्य

अनुमानित लागत

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक की खरीद	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर की खरीद	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर की खरीद
5 ई-ट्रैक्टर की कुल लागत ~₹30,00,000 है 5 ई-माल वाहक की कुल लागत: ₹25,00,000 – 50,00,000 कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख		



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा का उपयोग	अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं।	
ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में 15 ई-ऑटोरिक्शा शामिल किया जाना	आवश्यकतानुसार बेड़े में अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा शामिल किया जाना	आवश्यकतानुसार बेड़े में अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा शामिल किया जाना	
एक ई-ऑटोरिक्शा ⁷⁴ की लागत: लगभग ₹3,00,000 > उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक > 15 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹43,20,000 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 27 tCO ₂ e ⁷⁵	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	

74 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत 1,50,000 रुपये से लेकर 4,00,000 रुपये और उससे भी ज्यादा होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर निधि को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

75 समुदाय से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रति ऑटोरिक्शा 1.8 tCO₂e बचाए जाने वाले जीएचजी उत्सर्जन का अनुमान है। डीजल ऑटो रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और GP को कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में योगदान मिलेगा।

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
- खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁷⁶ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी
 - » ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण (एफएएमई) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय।
- सीएसआर समर्थन के साथ बैंकों और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

76 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में लाभार्थियों की संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए, इस योजना के किसी भी भाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे⁷⁷

ग्राम पंचायत का मुख्य आधार कृषि है, जिसमें लगभग 44 प्रतिशत परिवार लगे हुए हैं। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन जैसे लगातार चरम मौसम की घटनाओं, अनियमित वर्षा आदि के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। अस्थाई खेती की प्रथाओं के साथ-साथ जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा आजीविका विषय पर अनिश्चितता में है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और पशुपालन हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 500 व्यक्ति बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से बाहर चले गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

ग्राम पंचायत के भीतर उल्लिखित गतिविधियों से परे नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्य योजना में उल्लिखित संस्तुतियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. सतत/सतत उत्पादों (बैग, घरेलू सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण हेतु महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना।
2. क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

प्रारंभिक सहभागिता में:

- 100 महिलाएं
- 8 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (वर्तमान में सिलाई गतिविधियों में शामिल)
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- अतिरिक्त 200 महिलाएं
- अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य

77. जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



जैविक कचरे को खाद बनाकर बेचना

सुझाई गई क्लाइमेट
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पादित खाद: 740 किलोग्राम प्रतिदिन; 22,200 किलोग्राम प्रति माह
(वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

लक्ष्य



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई क्लाइमेट
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की वाणिज्यिक किराए पर लेना (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण-II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

तत्काल लक्ष्य:

- 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
- 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना जाता है कि औद्योगिक पड़रिया में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत लगभग ₹6 लाख है)

लक्ष्य



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना

लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000

(ग्राम पंचायत का आय बढ़ाने के लिए सीमा के भीतर 3 फलों के बागों का लाभ उठा सकते हैं)



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु

लक्ष्य

लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किलिंग योजनाओं से सहायता।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से)।
- सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 78,79,80:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

78 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

79 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

80 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁸¹, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती है।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁸²:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किए गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁸³:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूल उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक है। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग

81 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

82 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

83 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे कि चारे की तैयारी और शेड का संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्त्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्क्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{84,85}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸⁶

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु आवास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸⁷" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें :

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸⁸

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

84 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

85 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

86 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

87 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscscpscc>

88 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) -राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁹।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁹⁰

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग :

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

89 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

90 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁹¹

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना :

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्प्लिसिपेंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁹²

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक :

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

91 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

92 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, उंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁹³

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना :

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁹⁴

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

93 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

94 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁵
क. कृषि में जलवायु लचीलापन का निर्माण करना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁹⁶ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार 	एसडीजी 2: शून्य भूख <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई
ख. प्राकृतिक खेती को अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 		  

⁹⁵ पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी




⁹⁶ प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण</p> 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
<p>ख. जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
<p>ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) पद्धतियाँ</p> 		<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5



हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ख. नर्सरी स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9



सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ख. जैविक कचरे का प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>घ. स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना</p> 		<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1






स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b
<p>ख. कृषि -फोटोवोल्टिक</p> 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. सौर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है 	
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	
<p>च. सौर स्ट्रीट लाइट</p> 		









सतत एवं उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	<p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>ग. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन</p> 		



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	
<p>च. नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव</p> 		



कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव से औड़ैन्य पड़रिया के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधर करेंगी। औड़ैन्य पड़रिया के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर औड़ैन्य पड़रिया को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजनाII, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, औड़ैन्य पड़रिया जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही औड़ैन्य पड़रिया को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक 1 : पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹⁷। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

औडेन्य पड़रिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹⁸ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया

97 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

98 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आंकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाउडमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » औड़ेंय पड़रिया ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारीयों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारीयों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारीयों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारीयों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : औड़ण्य पडरिया

विकासखण्ड : मैनपुरी

जनपद : मैनपुरी

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	14
3	a कुल जनसंख्या	15940
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	7310
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	6960
	d विकलांगजन की जनसंख्या	70
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	1670
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	750
4	कुल परिवार की संख्या	2105
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	70
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1248 Hect.
6 a	साक्षरता दर	82%
7 a	पक्का घरों की संख्या	2093
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	12 (दीवार मिट्टी / कच्चे ईंट की छत टीन)



II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	1015	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	60	
	अनुबंध खेती	Nil	
	दिहाड़ी मजदूर	450	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	650	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	500 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन 1-2 डिसमिल ही है, ऐसे लोग एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल हैं (गांव के लगभग 40 प्रतिशत चौहान एवं सक्सेना जाति के परिवार आजीविका हेतु मैनपुरी के आसपास अथवा मुख्य राजमार्ग पर दुकान खोले हैं जो अपने खेत को बटाई पर देते हैं)	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	550	
	कुटीर उद्योग	8	
	कृषि	1400	
	कला/हस्तकला	Nil	
	पशुपालन	725	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	122 (सिंहपुर एवं ट्रांसपोर्टनगर मजरे के अधिकांश लोग ने स्थानीय दुकान खोली है।)	
	व्यवसाय/उद्यम	Nil	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	350	
	अन्य	50 (सिलाई का कार्य)	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव	Nil	
	निकट के शहर	200 व्यक्ति	आजीविका हेतु
	राज्य के प्रमुख शहर	Nil	
	देश के प्रमुख महानगर	500 व्यक्ति	आजीविका हेतु
c		हां	नहीं



	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	Nil	Nil

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	150
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	127
	किराए की <u>भूमि/हुण्डा</u>	Nil
	अनुबंध खेती	Nil
	दिहाड़ी मजदूर	280
	अन्य व्यवस्था	Nil
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	खेती के कार्य में धान की रोपाई, निराई एवं गुड़ाई, फसलों की कटाई, सफाई आदि का कार्य अधिकांश कृषक परिवार की महिलाएं करती है।
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	70
	कुटीर उद्योग	5 (अचार एवं जैम, दोना बनाने आदि का कार्य),
	कृषि	127
	कला/हस्तकला	Nil
	पशुपालन	110
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	10
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	30
	अन्य	40 सिलाई का काम





12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1.	ओमसाई	13	एनआरएलएम से जुड़ाव कर दो सदस्यों को मस्टररोल पर कार्य	2700 / -	हां
2.	अहिल्याबाई होल्कर	10	1 सदस्या उद्योग सखी की भांति कार्यरत है।	960 / -	हां
3.	नारीशक्ती महिला	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	1000 / -	हां
4.	गंगा देवी महिला	10	एनआरएलएम से जुड़ाव कर 1 सदस्या को मस्टररोल पर कार्य	1000 / -	हां
5.	राधा कृष्ण	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	1000 / -	हां
6.	गंगा देवी	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	1000 / -	हां
7.	भोले बाबा	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	1000 / -	हां
8.	जय श्री राम	12	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	1400 / -	हां
9.	दुर्गा महिला	12	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	2500	हां

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				





14	अन्य समुदाय आधारित संगठन/ नहीं है					
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत	उत्पाद/सेवा	विपणन/लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं					
A	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	261	165	Rs. 11,53608/-	-	सड़क पाटने का कार्य, प्रधानमंत्री आवास, तालाब की सफाई ।
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	6065 व्यक्ति	6065 व्यक्ति	Nil		1441 परिवारों को गेहू 3 किलो, चावल 2 किलो प्रति सदस्य तथा 70 परिवार को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह। व्यक्ति
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	500	500	गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर		
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1000 व्यक्ति				
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	Nil				
B	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	Nil				
	ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				





	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	28	26	14 लाभार्थियों को 110,000/- रु0 तथा 12 लाभार्थियों को अभी 40,000/- दिया गया है।		14 लाभार्थियों का आवास बना है। 12 का बन रहा है।
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	1441 परिवार	1441 परिवार	Nil		प्रत्येक माह 5-35 किलों खाद्यान्न मिलता है। परिवार
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	10	10			जल जीवन मिशन में कार्य हेतु 10 युवा प्रशिक्षित (फिटिंग, वेल्डिंग आदि का कार्य करते हैं।)
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil				
	मौसम आधारित फसल बीमा	Nil				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	Nil				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nil				
	किसान क्रेडिट कार्ड	946				बैंक से लोन मिला है।
	स्वच्छ भारत मिशन	831	237	9,972,000/-		लाभार्थी के घर शौचालय बना है।
	सौर सिंचाई पम्प योजना	Nil				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil				
	गोवर्धन योजना	Nil				
	जल पुनर्भरण योजना	Nil				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	16	16			10 प्राथमिक एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है।





	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	150	150			150 लोगों ने जिले स्तर पर आयोजित कैम्प में प्रतिभाग किया है। किन्तु कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।
	उद्यमिता सहायित योजनाएं आदि	Nil				

16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	5600
17	ई-बैंकिंग/डिजीटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	1500

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	नवीन मण्डी समिति मैनपुरी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	गेंहू 1500	800	27 किमी
	नवीन मण्डी समिति मैनपुरी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	धान 3500	1500	27 किमी
	नवीन मण्डी समिति मैनपुरी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	मसूर 50	40	27 किमी
	नवीन मण्डी समिति मैनपुरी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्रॉप आउट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
	A प्राथमिक विद्यालय					





1	प्राथमिक विद्यालय नगला जुला	150	141	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
2	प्राथमिक विद्यालय औडेन्य	180	50	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
3	प्राथमिक विद्यालय पडरिया	140	52	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
4	प्राथमिक विद्यालय बिछिया	120	58	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
5	प्राथमिक विद्यालय पनिहार	140	33	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
6	प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर	150	52	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
7	प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर	120	54	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
8	प्राथमिक विद्यालय नगला हरसुख	120	35	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
9	प्राथमिक विद्यालय झिंझाई	150	60	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
10	प्राथमिक विद्यालय पावर हाउस	150	64	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
B	जू0 हाई स्कूल				(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय	170	91	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।



	नगला जुला				
	उच्च प्राथमिक विद्यालय औडेन्य	150	62	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय बिछिया	150	50	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय झिंझाई	120	52	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर	120	52	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय कड़ेराहार	100	44	0	(4) घर में अथवा खेती-बारी में अत्यधिक कार्य होने पर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।
C	हाई स्कूल				
	इण्टर कालेज				
D	अन्य संस्थान				
	डिग्री कालेज 2				

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	सरकारी आईटीआई	1200	1	10-12	18 - 50
	विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई	1000	2	10-12	18-50





21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
1.	राज्य मार्ग एसएच 83 मैनपुरी इटावा	1	1.5	(1)

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	Null
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Null
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Null
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Null
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Null
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Null

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण		
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?(एकड़)	15	
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	7	
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	✓ नहीं <input type="checkbox"/>
			आच्छादित क्षेत्रफल





	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Null
	अतिरिक्त सूचनाएं	Null

24 जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हाँ	नहीं
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	12	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	5-10 वर्षों से	
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	तीन तालाबों के आस-पास की भूमि पर लोगों ने पिछले पांच-छः वर्षों में अपने घर बना रखे हैं।	

25 जल आपूर्ति		
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब / झील—(4) अन्य— (5)	(1) (2) (3)
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5)	(5) गांव में कुल 270 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प है



	ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	0
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	Null
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24× 7 घण्टे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	Null
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3 B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	(1) (2) (नलकूप (3 A), (4)
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	नहर में मई-जून मास में पानी कम हो जाता है।
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	कृषि व संबंधित गतिविधियों में जल की आपूर्ति में कमी हो जाती है। गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता में कमी हो जाती है।





IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
A	गर्मी के माह में देखा गया			
B	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	30-45		
D	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	गर्मी अब 15 फरवरी से शुरू हो जा रही है और सितम्बर तक रहती है।		
27				
A	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
B	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		30-45	
D	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	सर्दियों के दिनों में कमी आई है एवं कोहरा की मात्रा में कमी आ रही है।		
28				
A	मानसून माह में महसूस किया गया			
B	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		40-50	
D	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	अब जून-जुलाई में बारिश न के बराबर हो रही है।		
29				
A	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
B	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		5-8	
D	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>






E	दिनों की संख्या	12-15	
F	अन्य सूचनाएँ/जानकारी	पिछले 4-5 वर्षों से जनवरी, फरवरी, एवं मार्च में अधिक वर्षा हो जा रही है। 2022 में नवम्बर में वर्षा हुई। 2023 में 26 जनवरी से वर्षा शुरू हुई और 10 दिनों तक होती रही है। जिससे फसल को नुकसान हो रहा है। असमय वर्षा से सर्वाधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं।	





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून-जुलाई- अगस्त	जून-जुलाई	जून-जुलाई	जून-जुलाई	जून-जुलाई
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन हैण्डपम्प का जलस्तर नीचे चला जाता है, तो दूसरे के हैण्डपम्प से पानी लाना पड़ता है।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन बोरिंग की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी है। फसलों में अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है।	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	Null	Null	Null	Null	Null
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	बाढ़ की घटना नहीं होती है। केवल नहर के पास के खेतों में जलजमाव होता है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	Null	Null	Null	Null	Null
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	नहीं होती है	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	Null	Null	Null	Null	Null





c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	मार्च	नवम्बर			
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन कुछ नहीं करते है।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन कुछ नहीं करते है।	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	सितम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,	सितम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,	सितम्बर, अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, मार्च, अगस्त,	सितम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,	सितम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,
c	किस प्रकार के टिड्डी कीट/बीमारी को देखा गया?	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	टिड्डी का प्रकोप, माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग



		विषाणुजनित रोग		विषाणुजनित रोग		
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	टिड्डी के प्रकोप को कम करने के लिए खेतों में थाली बजाकर भगाते थे। अन्य कीटों एवं रोग के लिए दुकान से कीटनाशक आदि क्रय करके खेतों में डालते हैं।				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?	क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?		
	आपदा तैयारी के उपाय	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य				
	30 ग्रामीणों का टास्क फोर्स बनाया गया है। इनको प्रशिक्षण दिया गया है। कार्य/संचालन अभी नहीं है।	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डारण	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Null
	तेल	
	घेनी	
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	





37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	Nil
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	✓
	मोबाईल फोन/एप	✓
	मौखिक	✓
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	Nil
	पशुपालन विभाग	Nil
	उद्यान विभाग	Nil
	अन्य	Nil

नोट— 725 पशुपालकों में से 50 पशुपालकों ने पशुपालन कैम्प में भाग लिया था इनके फोन पर पशुपालन से संबंधित सूचना एसएमएस के द्वारा प्राप्त होती है।

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
A	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)					
		रबी(2)	गेंहू मटर सरसों	ठण्ड, रोग ओलावृष्टि	400 15 50	800000 /— 60000 /— 250000 /—
		खरीफ (1)	धान	बरसात	1000	2000000 /— —





	द्वितीय वर्ष (2021)
	तृतीय वर्ष (2020)
	चतुर्थ वर्ष (2019)
	पंचवां वर्ष (2018)
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां				
		√ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	लघु किसान हां (संतोषजनक)				



39 फसल पद्धति में बदलाव					
A	सामान्य फसल	खरीफ धान	रबी गेहूं सरसों मटर आलू	जायद/अन्य ऋतु भिण्डी मक्का	
B	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जून	15 -20 दिन देरी से	जुलाई	वर्षा का असयम होना
	गेहूं	नवम्बर	10 दिन देरी से	नवम्बर	खेत खाली नहीं होता है,
	सरसों	अक्टूबर- नवम्बर	15 -30 दिन देरी से	नवम्बर	अनियमित मौसम
	मटर	अक्टूबर- नवम्बर	15 -30 दिन देरी से	नवम्बर	अनियमित मौसम
C	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज जैसे महुआ, कोदो आदि अब नहीं हो पाता है।			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
A	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि/पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	खरीफ धान	नहर (3), वर्षा आधारित (4), विद्युत आधारित (6)	600/- से 700/-	नहर (3), वर्षा आधारित (4), विद्युत आधारित (6)	300/- से 500/-



	श्रबी गेंहू मटर आलू	नहर (3), वर्षा आधारित (4), विद्युत आधारित (6)	400/- से 500/-	नहर (3), वर्षा आधारित (4), विद्युत आधारित (6)	200/- से 300/-	
B	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		--	17	--	--	
C	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	ग्राम पंचायत में छोटी बड़ी दो नहर है जिनसे अधिकांश खेतों की सिंचाई होती है, मई-जून में नहर में पानी कम होने पर विद्युत आधारित पम्पिंग सेट से सिंचाई की जाती है। छोटी नहर जिसे लोग बम्बा बोलते हैं, उसके पानी का प्रयोग पशुपालन में भी किया जाता है।				
41 पशु पालन/पशुधन						
A	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		डेयरी (1) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) अन्य- स्पष्ट करें (6) - बकरी, भेड़ देशी, सरोही एवं गुजरी प्रजाति			
B	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी सुअर	गाय - 12 भैंस - 2 बकरी - 50 सुअर- 15	गाय - रोग चेचक, ओलम्पी भैंस - रोग बकरी - रोग पोकनी सुअर - रोग	सर्दी,	(2)
	द्वितीय वर्ष (2021)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	गाय - 18 भैंस - 3 बकरी - 70	गाय - रोग भैंस - रोग बकरी - रोग पोकनी	सर्दी,	(2)





	तृतीय वर्ष (2020)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	गाय - 20 भैंस - 1 बकरी - 50	गाय - रोग चेचक, ओलम्पी भैंस - रोग बकरी - रोग पोकनी	सर्दी,	(2)
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Null				
	पंचम वर्ष (2018))	Null				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	नगला जुला टोले के 10 परिवारों के 15 सुअर सर्दी के मौसम में अज्ञात रोग से मर गये। लोगों ने बताया कि सर्दी के मौसम में सुअर तीन से चार दिन सुस्त रहते थे, शरीर गर्म रहता था, कुछ खाते पीते नहीं थे और पशुचिकित्सक को दिखा नहीं पाये तीन चार दिनों में ही मर जाते थे। 10 परिवारों के सुअर 8-10 दिनों में मर गये।				
C	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्ताख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Null				
	द्वितीय वर्ष (2021)	Null				
	तृतीय वर्ष (2020)	Null				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Null				
	पंचम वर्ष (2018))	Null				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Null				
D	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Null				
	द्वितीय वर्ष (2021)	Null				
	तृतीय वर्ष (2020)	Null				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Null				





	पंचम वर्ष (2018)	Nill							
	अन्य जानकारी / सूचनाए								



V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी												
42 a	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी					
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/मौसम	उपज (कु0/कु0/एकड़)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवारनाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवारनाशी की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	गेहूँ	शरद ऋतु	15 से 18	डी.ए.पी.	15	(1)	-	-	सिकोर नाम्मी गोल्ड	0,1	वृद्धि (1)	वृद्धि (1)
	मटर	शरद ऋतु	15 से 16	यूरिया	50	(1)	मेलाथियान	20	-	-	वृद्धि (1)	-
	मसूर	शरद ऋतु	9 से 10	डी.ए.पी	20	(1)	मेलाथियान	20	-	-	वृद्धि (1)	-
	सरसों	शरद ऋतु	7 से 8	यूरिया	80	(1)	मेलाथियान	250 मिली0/एकड़	-	-	वृद्धि (1)	-



उर्द	शरद ऋतु	03 से 04	डी.ए.पी	20	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
आलू	शरद ऋतु	80 से 100	यूरिया डी.ए.पी पोटास	80 50 20	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
धान ताज एवं बागपती प्रजाति	गर्मी	30 से 35	सल्फर डी.ए.पी यूरिया	3 20 80	(1)	बीएचपी	0.5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	Nil	Nil	Nil	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?															क्या फसल अवशेष को भूसा-चारा के रूप में उपयोग करते हैं। सरसों के अवशेष को ईट मट्टे वाले ले जाते हैं, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां

फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0/कुत्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
Nill				

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)

फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
Nill			



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां											
	पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)– उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण– लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2) प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें
	सामाजिक वानिकी	25000 पौधे	सड़क के किनारे, शमशान के आसपास, मंदिर प्रांगण में, विद्यालय एवं कालेज के प्रांगण में	(1)	(2)	शहजन, फूलदार वृक्ष, अमरुद करौदा, शीशम, आदि	जुलाई	10 %	हां	कोई परिवर्तन नहीं।	लोगों ने बताया कि गहरे जड़ वाले पेड़ यहां विकसित नहीं हो पाते हैं। क्योंकि 8-10 फीट के बाद जमीन पथरीली है



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह / बेचते पर)	
गाय (देशी नस्ल)	300	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई	2700/- प्रतिमाह	
गाय (संकर नस्ल)	250	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार,	4500/- प्रतिमाह	
भैंस (देशी नस्ल)	650	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई	6000/- प्रतिमाह	
भैंस (संकर नस्ल)	300	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार,	9000/- प्रतिमाह	
बकरी	300	चारा खुले में चराई	6000/- वर्ष में दो बार बेचने पर	
सुअर	30	चारा खुले में चराई	10000/- वर्ष में दो बार बेचने पर	
मुर्गी	50			
मत्स्य	1 तालाब 1,5 एकड़	पोषक आहार	30000/- वर्ष में एक बार बेचने पर	
अन्य भेड़	कड़ेराहार में 100	पशुआहार, खुले में चराई	अभी 6 माह पूर्व भेड़पालन शुरू किया है।	

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
A	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
B	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
C	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या हैं?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





D	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> पानी अच्छा है, पीने योग्य है। 40 फुट पर पानी उपलब्ध हो जाता है।

48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी का छिलका, मिट्टी, धूल, प्लास्टिक, डायपर आदि	3 किलो				
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है।					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input checked="" type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			प्रत्येक 2 दिन पर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे से कचरा उठाया जाता है।
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	4-5 किलोमीटर		
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		60		
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)





								कुछ नहीं करते है। सोकपिट वर्मीपिट बनना आरम्भ हुआ है।
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति				
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	1605	<input type="checkbox"/>	500 निर्मल भारत अभियान में बने है।
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान- आडेन्य में विद्यालय के पास
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हां		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	समूह की महिलाओं द्वारा सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु प्रतिमाह 9000/- रू0 ग्राम निधि से मानदेय के रूप में दिया जाता है।		

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	100			50	
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	जल निगम द्वारा बना है किन्तु अभी खराब स्थिति में है				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51 स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा				
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)





a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	निर्माण कार्य चल रहा है। नगलाजुला में, 1.5 किलोमीटर है।
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75 75 75 तीन आंगनवाड़ी अलग से बनी है, अन्य 5 आंगनवाड़ी विद्यालय कैम्पस में ही है।
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 आशा ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं।
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
g	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

52 रोग/बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	145	40	80	25	गांव में प्राइवेट डाक्टर फोन करने पर उपलब्ध रहते हैं	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	नगला जुला, मैनपुरी सरकारी चिकित्सालय
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	150	75	40	35	गांव में प्राइवेट डाक्टर फोन करने पर उपलब्ध रहते हैं	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	500	100	350	50	गांव में प्राइवेट डाक्टर फोन करने पर उपलब्ध रहते हैं	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	कुपोषण	4	4	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



नोट: समुदाय से चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि इस बार श्वास संबंधी रोग जैसे खांसी, सांस फूलना बहुत लोगों को हुआ है और 20 से 25 दिन तक दवा खाना पड़ा है।

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	1605
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	-
	ए0सी0	300
	एयर कुलर	1350
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	1050

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/> दो बार
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	3-4 घण्ट बिजली नहीं रहती हैं।
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	--

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/> एक दो बार
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56 पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
डीजल चलित जेनरेटर	4-5 है, पर अभी लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं
सौर उर्जा	---
इमरजेंसी लाईट	1500





इन्टरवर्स	350
अन्य साधन (उल्लेख करें)	-----

57 नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	Null	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Null	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Null	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	Null	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	Null	
	सौर स्ट्रीट लाईट	Null	
	बायोगैस	Null	
	विकेंद्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	Null	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	Null	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी,) सरसों के अवशेष	800	120 से 150 किग्रा प्रति माह
	बायोगैस
	एलपीजी गैस	1590	6 किग्रा प्रतिमाह
	विद्युत	250	..
	सौर उर्जा
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)





59 वाहन की संख्या				
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	70	डीजल	20 किमी
b	कार	150	डीजल/ पेट्रोल	40-100 किमी, आवश्यकतानुसार, माह में 4 से 5 दिन ही प्रयोग होता है। कार आस पास के जिलों में जाती हैं
c	दो पहिया वाहन	1050	पेट्रोल	25-30 किमी
d	विद्युत चालित वाहन	30	25-30 किमी
e	आटो	15	डीजल, एलपीजी	60 किमी
f	ई-रिक्शा	35	...	20-35 किमी
g	अन्य		

60 कृषि यंत्र				
	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	70	डीजल	50-60 किमी रबी-खरीफ की जुताई के समय
b	कम्बाइन हारवेस्टर	2	डीजल	10 किमी
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है) नगला जुला टोले पर हाईवे के पास										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)						
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा
a	पेट्रोल	5000 ली	3				✓	✓		
b	डीजल	2000 ली		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





c	सीएन जी	500-800 किलो					✓		✓		
---	---------	--------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	Null			



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

2023-24


ग्राम पंचायत	औड़ेंच्य पडरिया
विकास खण्ड	मैनपुरी
जनपद	मैनपुरी

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत औडेण्य पडरिया मैनपुरी जिले की मैनपुरी तहसील में स्थित है। यह मैनपुरी से 4 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। पूरब में मैनपुरी किशानी रोड है, पश्चिम में मैनपुरी करहल रोड है जो सैफई से इस ग्राम पंचायत को जोड़ता है। इस ग्राम पंचायत के दक्षिण हिस्से से कानपुर गंगा निचली नहर निकलती है। इस ग्राम पंचायत के 12 टोले निचली नहर के उत्तर में तथा 2 टोले दक्षिण में स्थित है।

ग्राम पंचायत से काली नदी उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर और इसान नदी 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बहती है। इनकी लहरदार रेत की उबड़-खाबड़ भूमि का प्रभाव औडेण्य ग्राम पंचायत पर भी स्पष्ट दिखता है। ग्राम पंचायत से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 50 किमी की दूरी पर यमुना नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं।



आम तौर पर इस ग्राम पंचायत की मिट्टी मटियार अंतर्गत चिकनी मिट्टी मिट्टी है। दोमट की तुलना में हल्की मिट्टी को पिलिया के रूप में जाना जाता है, जो डोमल और भूर के बीच पाई जाती है। ऊसर के रूप में जानी जाने वाली बंजर मिट्टी, जो आंशिक रूप से छोटी नदी रिन्द-अरिन्द के प्रभाव के कारण है। इस मिट्टी का जमाव इतना ठोस होता है कि कोई घास-फूस का विकास इसमें नहीं हो पाता है। इसमें हानिकारक खनिजों की उपलब्धता होने के कारण इसमें खेती संभव नहीं है।

गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1248.1 हेक्टेयर है। औड़ेण्य पडरिया की कुल जनसंख्या 15940 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 7310 है जबकि महिला जनसंख्या 6960 है। औड़ेण्य पडरिया गांव की साक्षरता दर 75 प्रतिशत है, अर्थात् 80 प्रतिशत पुरुष और 70 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। औड़ेण्य पडरिया ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या 2105 हैं।

खुली बैटक में समुदाय के साथ हुई चर्चा से यह निकल कर आया कि ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया में जाड़ा, गर्मी व बरसात का प्रभाव रहता है। विगत 5-7 वर्षों पूर्व गर्मियों में तापमान इतना अधिक नहीं होता था जितना अब लोग महसूस करते हैं, इसके साथ ही गर्म दिनों में वृद्धि भी हुई है मार्च आखिरी सप्ताह में गर्म हवाएं चलने लगती हैं। पहले की अपेक्षा अब गर्म दिनों की शुरुआत 15 फरवरी से ही हो जा रही है और अक्टूबर तक रहती है।

खेती किसानों करने वाले लोगों ने बताया कि सर्दियों के दिनों में कमी आ रही है। पहले सर्दी के दिनों में 25-30 दिनों का कुहरा होता है किन्तु अब कुहरे वाले दिन केवल 7-10 ही होते हैं। जिसका प्रभाव रबी ऋतु के फसल उत्पादन पर स्पष्ट दिखता है।

वर्षा ऋतु की चर्चा के दौरान समुदाय के कुछ लोग निराश हो गये क्योंकि वर्षा के मौसम में वर्षा बहुत कम होती है। पहले जून माह से वर्षा ऋतु प्रारम्भ होती थी, जिसमें वर्षा दो तीन दिन रुक-रुक धीमी या तेज गति से होती रहती थी, किन्तु अब वर्षा बेमौसम एवं अत्यधिक मात्रा में एक साथ ही हो जाती है। जिससे पशुओं एवं निचली जमीन वाली खेती पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

सहभागी पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रक्रिया एवं टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा, जोखिम, प्रोफाइल में आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया। ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया के संदर्भ में आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्नवत् हैं -

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया के समुदाय ने प्रारम्भिक चर्चा में किसी भी आपदा के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया किन्तु जब उनकी आजीविका, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया तो विभिन्न आपदाओं एवं उनके प्रभाव के बारे में समुदाय ने बताया। औड़ेण्य पडरिया ग्राम पंचायत के 14 टोले 7-8 किमी की परिधि में हैं। ऊंची-नीची भूमि होने से जलजमाव जैसी समस्या केवल निचले टोले एवं नहर के किनारे के खेतों को प्रभावित करता है। जिन आपदाओं से औड़ेण्य पडरिया के समुदाय की दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफसफाई आदि प्रभावित होती हैं, उनकी एक सूची बनाई गई। इस सूची में सम्मिलित की गई सभी आपदाओं के प्रभाव पर चर्चा किया गया एवं इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की तुलनात्मक रैंकिंग करते हुए आपदाओं का प्राथमिकीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा सूखा है। इससे खेती एवं पशुपालन जैसी मुख्य आजीविका के साथमानव स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफ-सफाई आदि में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। साथ-साथ ही समुदाय को जलजमाव, लू, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान एवं आगलगी जैसी आपदाएं भी निरन्तर प्रभावित कर रही हैं।

आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनसे गांव व समुदाय व्यापक रूप से प्रभावित होता है। इसका प्रभाव वंचित समुदाय एवं गांव की प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों की व्यवस्था को बिगाड़ देता है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलकर आया कि ग्राम औड़ेण्य पडरिया में बाढ़ नहीं आती है। समुदाय के अनुसार वर्ष 1980 में जब मैनपुरी जिले में अन्य स्थानों पर बाढ़ आई थी तो औड़ेण्य पडरिया के निचले भागों में जलजमाव हुआ था। जिसे 30 एकड़ की खेती के साथ पशुपालन प्रभावित हुआ था।

वर्ष 2020 में बहुत तेज आंधी-तूफान की घटना हुई जिससे पूरा गांव प्रभावित हुआ था। वर्ष 2021 में अत्यधिक तापमान होने पर आगजनी की घटना ने गांव को प्रभावित किया था जिसमें एक व्यक्ति का पूरा घर नष्ट हो गया। पिछले 5 वर्षों से सूखे ने लगभग पूरे गांव को प्रभावित किया है। जिससे मुख्यरूप से धान की फसल प्रभावित हो रही है। लू एवं शीतलहर भी इस ग्राम पंचायत को प्रभावित करती है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया को प्रभावित करती हैं -

आपदा का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रै०	मई	जून	जुला०	अग०	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०
सूखा												
ओलावृष्टि												
आंधी												
आगजनी												
लू												
शीतलहर												
जलजमाव												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर एवं समुदाय में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि मानसून के मौसम में वर्षाविहिन दिनों की संख्या में वृद्धि एवं कम दिनों में अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा एवं गर्मी के मौसम में तापमान में वृद्धि से बहुत सारी समस्याओं का सामना ग्रामवासियों एवं गांव को करना पड़ रहा है। इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या सूखा है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय को उनकी खेती, पशुपालन, आजीविका एवं स्वास्थ्य को पूरी तरह प्रभावित करती है। मई-जून में तापमान बढ़ने से अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-अगस्त तक वर्षा का न होना, अथवा कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं, जिसका दूरगामी प्रभाव पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन पर पड़ रहा है, अर्थात समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक वर्ष इस ग्राम पंचायत की 20 प्रतिशत खरीफ की फसल जलजमाव से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसलों में आंधी-तूफान एवं ओला पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावनायें बहुत अधिक बनी हुई है। एक तरफ अप्रैल से चलने वाली लू दुधारू पशुओं को प्रभावित कर रहा है वहीं शीतलहर से भेड़, बकरी, सुअर मुर्गी आदि जैसे छोटे पशु प्रभावित हो रहे हैं। तापमान में अत्यधिक वृद्धि एवं तेज हवा के कारण आगजनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं का समुदाय एवं विभिन्न संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित/अनुमानित प्रभाव एवं जोखिम के साथ होने वाले नुकसान, आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों पुरुष, महिला, वृद्धजन, बच्चे दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं उपस्थिति में प्राप्त किये गये हैं।

आपदाओं का प्रभाव ग्राम पंचायत औड़ण्य पडरिया के भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका आदि पर पड़ रहा है। सूखा, ओलावृष्टि लू, शीतलहर एवं जलजमाव आदि का विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न प्रकार से, औड़ण्य पडरिया ग्राम पंचायत के संदर्भ में जोखिम की संभावना बनती है। समुदाय के साथ चर्चा के दौरान गांव के लोगों ने माना है कि इन जोखिमों से तरह-तरह के नुकसान को सहना पड़ता है जो निम्नवत् है—

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	आसन्न आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	टाबादी	घर	संसाधन
1.	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी	पूरा गांव	...	1000 निजी तथा 270 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा गांव	1509 घर	600 हे० एकड़ खेती
		उधान/ गृह वाटिका	सिंचाई लागत एवं श्रम अधिक	पूरा गांव	—	10 गृहवाटिका
		पशुपालन	जानवरों को तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बिमारियों का होना, एवं उत्पादन कम होना आदि	गाय, भैंस एवं बकरी, भेड़ पालक	550 पशुपालक घर	4 एकड़ चारागाह में घास पूरी तरह जल जाती है। लगभग 550 जानवरों में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
2.	ओला-वृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	जानवरों के घायल होना, छोटे बच्चों, वृद्धजन, महिलाओं के गिरने, चोट लगने का खतरा	पूरा गांव	12 कच्चे घर 70 विकलांग 750 वृद्धजन	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना, फसलों का नष्ट होना
		कृषि	ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान	पूरा गांव	1050 घर	गेंहू एवं सरसों की फसल नष्ट
		पशुपालन	चारागाह, पशु क्षति की आशंका	पूरा गांव	550 पशुपालक घर	लगभग 4 एकड़ का चारागाह नष्ट 300 बकरी, 100 भेड़ आदि के घायल होने का खतरा

3.	जलजमाव	कृषि	खारजा नहर, गंगा निचली नहर के आस-पास के खेत में जलजमाव से खरीफ की फसल का नुकसान	झिझाई, सिंहपुर,..... नगला नया, कड़ेराहार		150 हे0 फसल उत्पादन कम होने का खतरा।
		शिक्षा	अगस्त सितम्बर में एक से दो दिन तक जलजमाव	सिंहपुर प्राथमिक विद्यालय	54 बच्चों की शिक्षा बाधित होने का खतरा
4.	लू	मानव एवं पशु स्वास्थ्य	मानव व पशुओं का स्वास्थ्य खराब होना, कार्यक्षमता में गर्मी व दुग्ध उत्पादन कमी	पूरा गांव	350 दिहाड़ी मजदूरों का घर	350 मजदूरों की आजीविका एवं स्वास्थ्य प्रभावित। 550 जानवरों में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है
		शिक्षा	बच्चों का स्कूल में उपस्थिति कम, बच्चों का बीमार होना	पूरा गांव	1670 बच्चे	छोटे बच्चों को डायरिया, आंखे लाल होना उल्टी आदि जैसी बीमारी की आशंका शिक्षा व्यवस्था में बाधा
5.	शीतलहर	पशु एवं मानव स्वास्थ्य	विभिन्न प्रकार की बिमारियों का होना, पशु उत्पाद कम होना आदि।	गाय, भैंस एवं बकरी, भेड़ पालक	550 पशुपालक घर	छोटे बच्चों को बुखार, खांसी, निमोनिया आदि जैसी बीमारी की आशंका
		शिक्षा	बच्चों का स्कूल में उपस्थिति कम, बच्चों का बीमार होना	पूरा गांव	500 बच्चे	शिक्षा व्यवस्था में बाधा

आजीविका के साधनों पर आपादा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, कृषिगत एवं दैनिक मजदूरी आदि है। 50 प्रतिशत परिवारों को पास निजी जमीन है किन्तु इस ग्राम पंचायत में जिनके पास निजी जमीन है उन परिवारों ने मैनपुरी शहर एवं सैफई पास होने से अपना व्यवसाय जैसे पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेन्ट, होटल, गाड़ी की एजेन्सी, नर्सरी एवं बड़ी दुकानें मुख्य सड़कों पर खोल ली हैं और अपने खेतों को अधिया-बटाई पर दे रखा है। इस प्रकार जिन लोगों के पास 1-2 डिसमिल जमीन है, अथवा भूमिहीन है वो लोग ही अधिया-बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं। इस प्रकार कृषिगत गतिविधियों पर सम्पूर्ण गांव की अधिकतम आबादी आधारित है।

विगत दशक के मई-जून में अत्यधिक गर्मी के पड़ने, मानसून के दौरान जून-जुलाई माह में वर्षा न होने या कम होने आदि से सूखा की स्थितियां बनती है किन्तु पूरे ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु नहर उपलब्ध है, साथ ही बिजली वाले ट्यूबवेल पम्प आदि की सुविधा है इस कारण लोग फसल को बचाने के सभी उपायों को अपनाते हैं। मई जून में नहर का पानी सूख जाने के कारण तथा भूमिगत जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों को सिंचाई हेतु अधिक श्रम एवं लागत लगानी पड़ती है। धान में 5-7 बार सिंचाई करनी पड़ती है। इस कारण नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी बड़े शहरों में आजीविका हेतु पलायन कर रही है। सूखा का प्रभाव पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुचारे पर पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय भी

प्रभावित हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल जलजमाव अथवा सूखे से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज गर्मी, लू एवं बीमारियों आदि के कारण कम पैदावार की संभावनाएं भी बनी हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई हैं।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 02 देखें।

3. नाजुकता विश्लेषण

बारम्बार एवं निरन्तर विभिन्न आपदाओं का सामना करने से प्रभावित समुदाय आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। ग्राम पंचायत औड़ण्य पडरिया एवं समुदाय को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन एवं नाजुक स्थल आदि की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसे जानने के लिए ग्राम भ्रमण एवं ग्रामस्तरीय बैठक के माध्यम से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, समूह की महिलाएं प्राथमिक विद्यालय की प्राधानाध्यापक एवं 6 आंगनवाड़ी, रिटायर्ड सरकारी विभाग के लोग, खेतीहर बुजुर्ग लोग एवं समुदाय के अन्य लोग, आदि की सहायता से नाजुक वर्ग (जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर), ग्राम पंचायत में नाजुक स्थल, स्थितियां एवं आपदा से प्रभावित होने वाले संसाधनों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी।

1. सूखा

औड़ण्य पडरिया ग्राम पंचायत में 8-10 वर्षों पहले वर्षा जून माह से अगस्त माह तक होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु विगत 5 वर्षों से असमय वर्षा होती है। बरसात के मौसम में जून में वर्षा नहीं होती है और अगस्त माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा होने के कारण खरीफ के मौसम में सूखा जैसी स्थिति बन जा रही है। निम्नलिखित गतिविधियां सूखे की स्थिति में वृद्धि कर रही हैं।

- यहां की मटियार एवं पीलिया¹** मिट्टी के साथ बहुत स्थानों पर ऊसर है जिसमें जलधारण क्षमता बहुत कम है। इस कारण फसलों एवं पेड़-पौधे पर सूखे का प्रभाव बढ़ जाता है। गांव में विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग गहराई पर पथरीली भूमि पाई जाती है जिससे गहरी जड़ों वाले पेड़ जैसे आम, लीची, बरगद, पीपल आदि बहुत कम हैं।
- झाड़ीदार एवं कटीले पेड़ जैसे बबूल, करौंदा आदि लोगों ने लगाए हैं, सड़कों के किनारे बबूल के वृक्ष लगे हैं।
- लेखपाल के सूचना अनुसार इस गांव में 29 तालाब थे जिसमें से केवल 12 तालाब अस्तित्व में हैं। सभी तालाब में गांव का गंदा पानी छोड़ा जाता है, नाली की संरचना एवं स्वरूप उपयुक्त हैं। केवल एक तालाब में सीमेन्टेड नाली है, इसमें भी कोई जाली आदि नहीं होने से पानी के साथ कचरा तालाब में जाता है। एक तालाब पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है।
- गांव में कुल 20 से अधिक कुएं थे जो भूमिगत जलस्तर का प्रबंधन कर सकते हैं, किन्तु अभी केवल 4 कुएं सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 16 कुंओं का अस्तित्व समाप्त हो चुका है उनपर निर्माण कार्य अथवा अतिक्रमण है।

¹ दोमट की तुलना में हल्की मिट्टी को पिलिया के रूप में जाना जाता है, जो डोमल और भूर के बीच पाई जाती है।

- खेतों में पूर्णतः रसायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। मृदा में जलधारण की क्षमता कम होने से सूखे का प्रभाव फसलों पर प्रदर्शित हो रहा है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- विगत 10 वर्षों से सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में गांव के लगभग 10 प्रतिशत किसान धान की रोपाईं देर से करते हैं। जो किसान धान की रोपाईं करते हैं उनके सिंचाई की लागत बढ़ गई है। वर्ष 2022 में सितम्बर माह तक वर्षा नहीं होने से धान की रोपाईं देर से की गई और अतिरिक्त सिंचाई भी की गई। इस गांव का 500 हे० खेती की उपज सूखे से प्रभावित होती है।
- खारजा एवं छोटी नहर का पानी सूख जाता है अथवा अत्यन्त कम हो जाता है। जिससे सिंचाई में श्रम और लागत दोनों में वृद्धि हो जाती है।
- गांव के लगभग सभी निजी हैण्डपम्प सूख जाते हैं, सरकारी हैण्डपम्प से पानी कम आता है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों को दैनिक घरेलू कार्यों हेतु दूसरे के सबमर्सिबल से अथवा सरकारी हैण्डपम्प से पानी लाना पड़ता है।
- जानवरों को चारे का संकट हो जाता है। 10 प्रतिशत परिवार को दुधारू पशुओं को दोनों समय नहलाने के लिए पानी दूसरे के घर से लाना पड़ता है, अथवा नहर में पानी कम होने पर उसमें नहलाते हैं। इसके बावजूद तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं। परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है।

2. ओलावृष्टि एवं तूफान का प्रभाव

जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के कारण ओलावृष्टि बार-बार होने के साथ ही अधिक तीव्र होती है। समुदाय से चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि ओलावृष्टि गांव की तीसरी बड़ी आपदा है। औड़ण्य पडरिया ग्राम पंचायत में अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर आधारित हैं। रबी की फसलों आलू, गेहूं, सरसों, समेत कई फसलों को भारी नुकसान होता है। चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि ओलावृष्टि से तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके अलावा दलहन, तिलहन एवं सब्जी की फसलों को भी नुकसान होता है।

मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र की पहुंच केवल 10 प्रतिशत लोगों तक ही है अतः समय पूर्व सूचना एवं जानकारी पूरे समुदाय को नहीं मिलती है। ओलावृष्टि का कोई अनुमान नहीं लगा पाने के कारण गांव में मुख्यतः छोटे पशुओं को बहुत नुकसान होता है। पशुओं का चारागाह नष्ट हो जाता है। पशु खुले में होते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं।

3. लू

लू तीसरे नम्बर पर गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलन कर आया कि गर्मियों के दिनों में 20 अप्रैल से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं।

इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं।

- विशेषकर छोटे बच्चों को डायरिया, उल्टी, बुखार, आंखे लाल होना, थकान आदि स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र पर आने वाले 3-6 वर्ष के बच्चों की संख्या कम हो जाती है, केन्द्र में बैठे-बैठे बच्चे गर्मी से परेशान हो जाते हैं लू से अत्यधिक प्यास लगती है, बच्चे खेल-कूद भी नहीं कर पाते हैं।
- पशुओं को चारा की एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है। पशुओं को विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं, परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है।

4. आगलगी

औडेण्य पडरिया ग्राम पंचायत में अत्यधिक गर्मी एवं तेज हवा/ आंधी के कारण आगलगी जैसी आपदा उत्पन्न हो जाती है। गांव में झोपड़ी व फूस के घरों एवं पक्के मकानों के साथ पशु आश्रय फूस के होने से आगलगी का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रभाव

ग्राम पंचायत के सभी टोले पर फूस के छप्पर जानवरों के लिए है। 2021 में नगला नया टोले पर घर में आग लगने से पूरा घर जल गया। अत्यधिक तापमान एवं गर्मी में खाना बनाते समय एवं पशुशाला एवं खुले स्थान पर मच्छर आदि की रोकथाम के लिए जलाए गये अलाव आदि में असावधानी हो जाने से आगलगी की खतरा बढ़ जाता है। इस गांव में आगलगी की खतरा बना रहता है।

5. शीतलहर

शीतलहर गांव को प्रभावित करने वाली पांचवे नम्बर की आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शीतलहर में ठण्डी से औसतन प्रत्येक वर्ष 10-15 बकरियों भैंसों की मृत्यु हो जाती है। इस वर्ष 15 सुअरों की मृत्यु अज्ञात रोग से शीतलहर के समय में हो गई है।

गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषिकार्य, मजदूरी, आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों पर मुख्यतः आलू, दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है, फसल सूख जाती है। कीट-पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जलौनी हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

6. जलजमाव

औरेण्य पडरिया ग्राम पंचायत के 14 टोले 7-8 किमी में फैले हैं। उंची नीची भूमि होने से जलजमाव जैसी समस्या केवल निचले टोले एवं नहर के किनारे के खेतों में है।

ग्राम पंचायत से काली नदी उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर और इसान नदी 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बहती है। इनकी लहरदार रेत की उबड़-खाबड़ भूमि का प्रभाव औडेण्य

ग्राम पंचायत पर भी स्पष्ट दिखता है। ग्राम पंचायत से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 50 किमी की दूरी पर यमुना नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं। जब मानसून के दौरान नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है, नहर में पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। नहर के किनारे के खेतों में जलभराव की स्थिति बन जाती है।

समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव

ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष जलजमाव से समुदाय की खरीफ की खेती, आवागमन एवं शिक्षा आंशिक रूप से प्रभावित होती है।

- झिझाई, सिंहपुर, नगला नया, कड़ेराहार टोले के समुदाय के खेत, जो खारजा नाला, नहर, गंगा निचली नहर के आस-पास के 150 हे० खेत में प्रत्येक वर्ष जल-जमाव होता है यदि जलजमाव का समय जुलाई तक होता है तो धान की रोपाई में देर हो जाती है और यदि जलजमाव अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर तक है तो पूरी धान, मक्का की फसल का उत्पादन कम हो जाता है, धान में दीमक लग जाता है, इससे बीज, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि की लागत भी डूब जाती है।
- अत्यधिक बरसात में सिंहपुर एवं कड़ेराहार टोले के सड़कों एवं प्राथमिक विद्यालय में जलभराव होने के कारण आवागमन बाधित होता है। बच्चों की शिक्षा बाधित होती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार हैं –

- गांव में अधिकांशतः मक्का, भिन्डी, आलू, गेहूँ सरसों, एवं धान ही उगाते हैं। खेती में विविधता, मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि संबंधित गतिविधियां न के बराबर हैं। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- लोगों में कृषिगत (मृदा, बीमारियां, आदि) एवं पशु नस्ल आदि की जानकारी एवं जागरूकता की कमी है, लोगों को सरकारी कल्याणकारी एवं कृषिगत योजनाओं संबंधित जानकारी कम है। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लोग खेती एवं पशुपालन तो करते हैं, किन्तु फसलों की बीमारी के अनुसार कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी आदि की जानकारी कम है। फसल में उत्पन्न हुई समस्या बताकर दुकान से संबंधित दवाएं लाते हैं। कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसलबीमा आदि की जानकारी न के बराबर है। ग्राम पंचायत में पशुचिकित्सा भवन बना है, किन्तु हमेशा ताला लगा रहता है, अभी कोई पशुचिकित्सक उपस्थित नहीं रहता है। इस कारण पशु संबंधित बीमारियों को लोगों को ज्ञान कम है, जिससे लोग पशुओं की बीमारी में स्वयं से ही घरेलू उपचार पर अधिक निर्भर रहते हैं।

4. क्षमता विश्लेषण

ग्राम पंचायत आड्रेण्य पडरिया को जलवायुगत आपदाओं के सापेक्ष क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से यह समझना अतिआवश्यक है कि ग्राम पंचायत एवं यहां का प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में स्वयं कितना सक्षम है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं, उनके जोखिमों एवं खतरों से गांव के साथ उसके आसपास उपलब्ध संसाधन भी निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। यह संसाधन

भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन सभी संसाधनों की भलीभांति पहचान होने से किसी भी आपदा के दौरान उनके खतरों से निपटने में सुलभता एवं सहजता होती है अर्थात् यह संसाधन किसी भी गांव को आपदाओं से निपटने हेतु सक्षम बनाते हैं।

संसाधनों की उपलब्धता, उनकी संख्या एवं दूरी आदि की जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में सुविधा मानचित्र पर अंकित करते हुए समुदाय के साथ चर्चा भी किया गया ताकि सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। संसाधनों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं को निम्न प्रारूप में सूचीबद्धकर उल्लेखित किया गया है-

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

क्रम सं०	विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	पंचायत भवन/ सचिवालय से दूरी
1	पंचायत भवन	01	प्रधान श्री सुदीप सिंह 9411850222 पंचायत सहायक श्री अरिदमन चौहान 6397284831	0 किमी
2	प्राथमिक विद्यालय नगलाजुला प्राथमिक विद्यालय औडेन्य प्राथमिक विद्यालय पडरिया प्राथमिक विद्यालय बिछिया प्राथमिक विद्यालय पनिहार प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर प्राथमिक विद्यालय नगला हरसुख प्राथमिक विद्यालय झिंझाई प्राथमिक विद्यालय पावर हाउस	10	श्रीमती सरोज कुमार श्रीमती अंजना बैस श्रीमती सुधा भदौरिया श्रीमती हर्षिता चौहान श्री अमित चौहान श्रीमती बीना यादव	0-8 किमी
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय नगलाजुला उच्च प्राथमिक विद्यालय औडेन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय बिछिया उच्च प्राथमिक विद्यालय झिंझाई उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय कड़ेराहार	06		0-8 किमी
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01		0.5 किमी
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	01		04 किमी

6	सरकारी बीज केन्द्र	01		04 किमी
7	थाना / कचहरी	01	100	09 किमी
8	तहसील	01		20 किमी
9	विकास खण्ड कार्यालय मैनपुरी	01		15 किमी
10	पोस्ट ऑफिस,	01		0.1 किमी
11	बिजली विभाग, मैनपुरी	01		07 किमी
12	फायर स्टेशन मैनपुरी	01	101,	0.7 किमी
13	जिला मुख्यालय मैनपुरी	01		35 किमी
14	बस स्टेशन मैनपुरी	01		07 किमी
15	रेलवे स्टेशन मैनपुरी	01		07 किमी
16	बाजार	01		07 किमी
18	बैंक	01		02 किमी
19	मंदिर	04	काली मंदिर हनुमान मंदिर भैरोबाबा मंदिर आश्रम एवं मंदिर	0.2- 07 किमी
20	डिग्री कालेज	02		02- 07 किमी
21	आईटीआई	02	विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई सिंहपुर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	02- 07 किमी

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन /	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	दूरी
पर्यावरणीय संसाधन				
1.	तालाब	12	गाटा संख्या - 5442 गाटा संख्या - 5521 गाटा संख्या - 5510 गाटा संख्या - 5932 गाटा संख्या - 5956 गाटा संख्या - 5914 गाटा संख्या - 5986 गाटा संख्या - 4210 गाटा संख्या - 4381 गाटा संख्या - 4814 गाटा संख्या - 5430 गाटा संख्या - 1438	0.5 - 07 किमी
2.	कुंआ	04	मंदिर के पास	01-07 किमी
3.	नाला	01	औडेण्य के पश्चिम में	0.2 किमी
4.	झील	01	रामसर झील किशनी	10 किमी
5.	हरित क्षेत्र	05	यूकेलिप्टस, बबूल, करौंदा, एवं आम	0.2
6.	नदी	04	काली नदी, ईशन नदी रिन्द व अरिन्द नदी	15-30 किमी

			यमुना नदी	
7.	कृषिगत क्षेत्र	730 हे०	14 मजरा के आसपास	0.1-8 किमी
8.	खुला क्षेत्र/ सामुदायिक भूमि	15 एकड़	7 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।	0.8 किमी
9.	छोटी नहर	01	स्थानीय समुदाय बम्बा कहते हैं।	0.2 किमी
10.	बड़ी नहर	01		0.7 किमी
11.	गंगा निचली नहर	01	ग्राम पंचायत के दक्षिण में	07 किमी

मानव संसाधन				
1.	ग्राम प्रधान	01	श्री सुदीप सिंह 94118 50222	0.0 किमी
2.	शिक्षक-शिक्षिका	02	श्रीमती सरोज कुमार श्रीमती अंजना बैस श्रीमती सुधा भदौरिया श्रीमती हर्षिता चौहान श्री अमित चौहान श्रीमती बीना यादव	0.7 किमी
3.	आशा बहू	10	संध्या चौहान किरन अलका पूनम रानी मिथलेश - 7839803188 सीमा चौहान - 7839809139 पुष्पा - सीमा निगम - 7839803147 रेखा देवी - 9719297659	0.8-08 किमी
4.	एएनएम	01	श्रीमती कमलेश यादव - 7839803084	0.2 किमी
5.	आंगनवाड़ी		नगलाजुला - वंदना चौहान - 8126185005 औडेन्य - नीरु चौहान - 9917561687 पडरिया - पंकी यादव - 7037516425 झिंझाई / नगला हरसुख - नीरज चौहान - 7505860898 बिछिया सरोज - 9719811681 सिंहपुर ममता - 9720187234 पावर हाउस गार्गी - 9557489355 बैजनाथ व ट्रान्सपोर्टनगर - बीसुना - 7895144839	0.2 किमी
6.	तकनीकी सहायक	01	श्री कौशलेन्द्र सिंह - 7078571876	10 किमी
7.	टास्क फोर्स के सदस्य	30	रामवीर सिंह 9758475885 विवेक सिंह 9690567009 सरिता 9897497335 राजू 8171557168	0.5 किमी

			पवन 7417971164 उपेंद्र 9897553258 भूपाल सिंह 7302765764	
8.	रोजगार सेवक	01	संतोष – 6397540637	0.5 किमी
9.	सफाई कर्मी	02	राजरानी – 8273322972 ललिता देवी – 8273470003	–
10.	भूतपूर्व सैनिक			
11.	कोटेदार	2	अनिल कुमार पूजा चौहान – 8979873523	
12.	कृषि जिला कार्यालय	1	2 किमी

आपदा के समय ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन व सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती हैं। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं तक समुदाय की पहुंच सुनिश्चित हो और इससे समुदाय लाभान्वित भी हो रहे हो।

ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया मैनपुरी जिले की मैनपुरी तहसील में स्थित है। यह मैनपुरी से 4 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। पूरब में मैनपुरी किशनी रोड है, पश्चिम में मैनपुरी करहल रोड है जो सैफई से इस ग्राम पंचायत को जोड़ता है। इस ग्राम पंचायत के दक्षिण हिस्से से कानपुर गंगा निचली नहर निकलती है। इस ग्राम पंचायत के 12 टोले निचली नहर के उत्तर में तथा 2 टोले दक्षिण में स्थित है।

ग्राम पंचायत से काली नदी उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर और इसान नदी 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बहती है। इनकी लहरदार रेत की उबड़-खाबड़ भूमि का प्रभाव औड़ेण्य ग्राम पंचायत पर भी स्पष्ट दिखता है। ग्राम पंचायत से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 50 किमी की दूरी पर यमुना नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं।

यह गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ प्लस) है यहां पर साफ-सफाई संबंधित विकास कार्य जैसे सामुदायिक शौचालय, है जबकि कूड़ा प्रबंधन हेतु कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्र, नाडेप, प्लास्टिक इकत्र करने हेतु लोहे की जाली, वर्मी कम्पोस्ट, सोखता एवं व्यक्तिगत शौचालय आदि की सुविधाओं का निर्माण कार्य अभी भी संचालित है। बच्चों के शिक्षा हेतु 10 प्राथमिक विद्यालय है। सभी प्राथमिक विद्यालय पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु व्यवस्था की गई है।

गांव से जल निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नालियां कई स्थानों पर बनी नहीं हैं सिंहपुर, कड़ेराहार, नगला नया एवं नगला विपिन, पनिहार में नालियां बनवाने की आवश्यकता है। ग्राम सचिवालय के पास के स्थान पर जलजमाव होता है, इसलिए यहां सड़क मरम्मत की आवश्यकता है।

पेयजल हेतु 270 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हैं। औड़ेण्य पडरिया में पेयजल हेतु जलआपूर्ति की व्यवस्था का कार्य जलनिगम विभाग द्वारा चल रहा है।

ग्राम पंचायत में प्राकृतिक संसाधन जैसे छोटे-बड़े 12 पोखरे हैं। जिसमें से एक पोखरे पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है। 4 कुएं हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। गांव के पास वन क्षेत्र नहीं है। पशुओं के खुले में चराई हेतु 4 एकड़ का चारागाह है।

यहां 85 महिलाओं की स्वयं सहायता समूह है, जिनमें से 40 समूह का बैंक से लिंक है किन्तु कोई भी समूह आयजनक कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ समूह की महिलाएं सरकारी कार्यकर्मों से जुड़ी हैं एवं मानदेय पर कार्य कर रहीं हैं।

गांव में समुदाय आधारित संस्थाएं नहीं हैं किन्तु 30 युवाओं का ग्राम स्तर पर एक दल बनाया गया है जिन्होंने जनपद स्तर से आपदा संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को इनका सहयोग मिल सकता है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे-

क्रम.	मद	वर्ष 2022-23 (रु०)
1.	5वां वित्त आयोग	28,16,335 / -
2.	15वां वित्त आयोग	34,14,420 / -
3.	मनरेगा	2552000 / -
4.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ0एस0आर)
	कुल	8782755 / -

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत औद्योग्य पडरिया की कार्य योजना

समुदाय चर्चा के दौरान सभी 5 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद "जलवायु परिवर्तन" अवधारणा के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के न्यूनीकरण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत औद्योग्य पडरिया की कार्य योजना तालिका -

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1.	सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	हैण्डपम्प रिबोर	सुरक्षित पेयजल की बारहमासी उपलब्धता हेतु हैण्डपम्पों को रीबार करना	नगला जुला - 3 बैजनाथपुर - 5, बिछिया - 3 औडेण्य - 1, पडरिया -3 नगला हरसुख - 2, कड़ेराहार-2 सिंहपुर - 2, झिंझाई -2 नगला नया-2, नगला विपिन-2	10 लाख 26 हजार	2 माह गर्मी के मौसम में	15वां वित्त आयोग
2.	सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	हैण्डपम्प मरम्मत	सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हेतु 90 हैण्डपम्पों को मरम्मत कार्य करना	नगला जुला - 15, बैजनाथपुर - 20 बिछिया - 10, औडेण्य - 8 पडरिया -8, नगला हरसुख - 3 कड़ेराहार-3, सिंहपुर - 3 झिंझाई -4, नगला नया-3 नगला विपिन-3, पनिहार- 4 ट्रांसपोर्टनगर -3, पावर हाउस - 3	2 लाख 70 हजार	4 माह	15वां वित्त आयोग पंचम राज्य वित्त
3.	मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण	पाइप पेयजल योजना अंतर्गत 2 टंकी निर्माण एवं व्यवस्था	पाइप पेयजल योजना अंतर्गत सौर उर्जा पैनाल 28 किलोवाट, 2 टंकी निर्माण एवं जलआपूर्ति व्यवस्था	पूरा गांव के घर	2.5	2 वर्ष	जल निगम

क्रम सं.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	1. परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
4.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता सेक्टर 1 -	पेयजल कूलर की स्थापना	15 पेयजल कूलर मशीन की स्थापना कराना	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रीतम के घर के पास नगला नया, 2. प्राथमिक विद्यालय सिहपुर 3. झिझाई विद्यालय पर 2 4. पडरिया काली मंदिर 5. औडेण्य पंचायत भवन 6. औडेण्य शनिमंदिर 7. बिछिया प्राथमिक विद्यालय 8. नगलाजुला बी आर सी 9. नगलाजुला मातादीन की दुकान 10. नगलाजुला देवेन्द्र के घर के पास 11. पावरहाउस प्राथमिक विद्यालय 12. बैजनाथपुर जूनियर विद्यालय 13. ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ ऑफिस के पास 14. कड़ेराहार प्राथमिक विद्यालय के पास 	20 लाख	1 वर्ष	15वां वित्त आयोग
5.		पेयजल गुणवत्ता जांच, मशीन व किट	ग्राम पंचायत के हैण्डपम्प शुद्ध पेयजल की प्राप्ति हेतु पानी जांच की नियमित व्यवस्था बनाना	पंचायत भवन	2 लाख	1 वर्ष	15वां वित्त आयोग
6.		तालाब संरक्षण	12 तालाबों को संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य सफाई, गहरी खुदाई, सिल्ट सफाई, झाड़ी की सफाई, पौधरोपण, बाउण्ड्री निर्माण, पुलिया निर्माण बेंच निर्माण आदि कार्य	ग्राम पंचायत के सभी तालाब (15 डिस्मिल)	2 लाख 50 हजार	3 वर्ष	15वां वित्त आयोग

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिस्यय
7.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता सेक्टर - 1	कूड़ा पात्र व्यवस्था	कूड़ा निस्तारण हेतु 14 कूड़ा पात्र रखवान	<p>3. परिसम्पत्ति का स्थान</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रीतम के घर के पास नगला नया, 2. प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर 3. झिंझाई विद्यालय पर 4. पडरिया काली मंदिर 5. औडेण्य पंचायत भवन 6. औडेण्य शनिमंदिर 7. बिछिया प्राथमिक विद्यालय 8. नगलाजुला बी आर सी 9. नगलाजुला मातादीन की दूकान 10. नगलाजुला देवेन्द्र के घर के पास 11. पावरहाउस प्राथमिक विद्यालय 12. बैजनाथपुर जूनियर विद्यालय 13. ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ ऑफिस के पास 14. कड़ेराहार प्राथमिक विद्यालय के पास 	42 हजार	15 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
8.		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	50 व्यक्तिगत शौचालय	<p>नगलाजुला - 10 झिंझाई - 6 सिंहपुर - 4 कड़ेराहार - 2 औडेण्य - 10 नगला नया - 2 नगला विपिन - 2 पनिहार - 2 पडरिया - 4 बैजनाथ - 4 नगला हरसुख - 4</p>	6 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	4. परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
9.		नाडेप जैविक खाद पिट निर्माण	व्यक्तिगत स्तर पर 40 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	बैजनाथपुर - 25 पडरिया - 5 औडेण्य - 1 नगला हरसुख - 2 कड़ेराहार-1 सिंहपुर - 2 झिंझाई -2 नगला नया-1 नगला विपिन-1	6 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
10.		नाला की गहरी खुदाई एवं झाड़ी सफाई	2 किमी लम्बा नाला 5 फीट तक खुदाई एवं झाड़ी सफाई आदि का कार्य	करहल रोड से खारजा नाला तक	1 लाख 25 हजार	2 माह बरसात के बाद	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
11.		नाला की गहरी खुदाई एवं झाड़ी सफाई	2 किमी लम्बा नाला 5 फीट तक खुदाई एवं झाड़ी सफाई का कार्य	नगला हरसुख से नगला नया	1 लाख 25 हजार	2 माह बरसात के बाद	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
12.		वर्मी जैविक खाद का पिट निर्माण	व्यक्तिगत स्तर पर 40 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	बैजनाथपुर - 20 पडरिया - 20	5 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग / मनरेगा / कृषि विभाग
		नाला सफाई का कार्य	4 किमी लम्बे खारजा नाला की सिल्ट, गंदगी सफाई का कार्य	आईटीआई से पावरहाउस कालोनी तक	4 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसमयति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
13.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता सेक्टर 1 -	नाली निर्माण कार्य	<ol style="list-style-type: none"> आरसीसी 400 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 300 मीटर 2 फीट गहराई, आरसीसी 150 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 200 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 100 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 200 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 150 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 200 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 250 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 250 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 300 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 150 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 250 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 200 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 200 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 200 मीटर 2 फीट गहराई आरसीसी 250 मीटर 2 फीट गहराई 	<p>बैजनाथपुर मनोज के घर से तालाब तक मवज्जम के घर से संजू के घर तक</p> <p>सिंहपुर आईटीआई से रामबीर के घर तक तालाब से साइफन तक पंकज के घर से जूनियर विद्यालय कड़ेराहार तक</p> <p>पनिया अजीत के घर से प्राथमिक विद्यालय नंदकिशोर के घर से पनिहार तिराहे तक</p> <p>झिंझाई कल्लू के घर से तालाब तक</p> <p>नगलाजुला अजय के घर से जगदीश के घर तक भारत के घर से देवेश का घर</p> <p>बिछिया हरगोविन्द के घर से तालाब तक मनमोहन के घर से नाला तक राजू के घर से तालाब तक मुन्ना भदौरिया के घर से तालाब तक</p> <p>औडेण्य हरिओम के घर से खारजा नाला तक</p> <p>पडरिया रजत के घर से तालाब तक शोभाराम के घर से तालाब तक</p>	3 लाख	5 माह बरसात के बाद	15वां वित्त

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
14.		2 आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	1 कमरा, बेबी शौचालय, बरामदा आदि	सिंहपुर प्राथमिक विद्यालय के पास पनिहार प्राथमिक विद्यालय के पास	18 लाख	6 माह	आरईएस
15.		अतिष्ठि स्थल निर्माण कार्य	खुले में एक बरामदा, कमरा, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था	गाटा संख्या 1468 की भूमि	25 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
16.		सरकारी विद्यालयों में बाउण्ड्री वॉल का निर्माण	700 मीटर लम्बाई की 6 फुट उंची विद्यालय की बाउण्ड्री वॉल	प्राथमिक विद्यालय पावर हाउस प्राथमिक विद्यालय पनिहार प्राथमिक विद्यालय पडरिया जूनियर विद्यालय कडेराहार	2 लाख	1 माह	15वां वित्त
17.		खेल का मैदान निर्माण कार्य एवं पौधरोपण	2 कमरा, स्टेडियम सिटिंग बेंच, पानी की व्यवस्था, शौचालय एवं खेल कूल संबंधित सामान एवं व्यवस्था	झिंझाई चौराहे के पास	50 लाख	2 वर्ष	15वां वित्त एवं / मनरेगा
18.		प्रधानमंत्री आवास निर्माण	20 प्रधानमंत्री आवास निर्माण	पूरा गांव	28 लाख	2 वर्ष	15वां वित्त एवं / मनरेगा / व न विभाग
19.		पार्क निर्माण कार्य	बंजर एवं सामुदायिक भूमि पर 2 पार्क निर्माण	नगलाजुला -1 झिंझाई -1	4 लाख	1 वर्ष	मनरेगा
20.		सौर ऊर्जा द्वारा सामुदायिक भवनों पर स्ट्रीट लाइट	1500 वर्ग फुट का सौर पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था 15000 वर्ग फुट विद्यालय	पंचायत भवन पर सभी 10 प्राथमिक विद्यालय पर	15 लाख	3 माह	15वां वित्त

संख्या 2 - लुधियाना / आंध्रप्रदेश संरचना एवं परिवर्धन

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
21.		सौर ऊर्जा द्वारा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था	300 सौर ऊर्जा पैनल एवं खम्भा आदि स्थापना। 8 घर के अंतराल पर प्रकाश व्यवस्था	14 टोले पर	21 लाख 16 हजार	3 माह	15वां वित्त
22.	सेक्टर 2 - बिछियादी / आहारभूत संरचना एवं परिवर्धन	सड़क का निर्माण आरसीसी / इन्टर लॉकिंग का कार्य	<ol style="list-style-type: none"> 300 मी सड़क 200 मी सड़क 400 मी सड़क 250 मीटर सड़क 250 मी सड़क 400 मी सड़क 300 मी सड़क 300 मी सड़क 100 मी सड़क 200 मी सड़क 450 मी सड़क 200 मी सड़क 	<p>बैजनाथपुर पंकज के घर से मुव्वजम के घर तक पप्पू के घर से पुष्येन्द्र के घर तक रेलवे लाइन से देवी मंदिर तक</p> <p>नगलाजुला अजय के घर से जगदीश के घर तक भारत के घर से देवेश का घर</p> <p>झिंझाई मंजेश के घर से शमशा नतक बालेन्द्र के घर से बिछियारोड तक मकरंद के घर से अनिल के घर तक</p> <p>सिंहपुर आईटीआई से रामबीर के घर तक तालाब से साइफन तक पंकज के घर से जूनियर विद्यालय कड़ेराहार तक</p> <p>बिछिया सोनू के घर से टीटू के घर तक</p>	1 करोड़ 25 लाख	10 माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं एवे मनरेगा

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
23.		व्यक्तिगत बाग-बागीचा निर्माण कार्य हेतु नर्सरी स्थापना	समूह के माध्यम से (100 महिला) 1000 पेड़ आंवला, आम, अमरूद, पीता, करौंदा, जामुन की व्यक्तिगत वानिकी कार्य	ग्राम पंचायत की भूमि (बंजर भूमि सुधार कर)	2 लाख	6 माह	मनरेगा
24.		स्थाई पशु आश्रय स्थल	20 व्यक्तिगत पशु आश्रयस्थल का निर्माण	बैजनाथपुर - 4 नगलाजुला - 4 पडरिया - 5 नगला नया - 1 सिंहपुर - 2 बिछिया - 2 परियार - 1 झिझाई - 1	40 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग
25.		किसानों हेतु जागरूकता कार्यक्रम प्रतिवर्ष रबी, खरीफ एवं जायद के अनुसार	तकनीकी संगोष्ठी, आय में वृद्धि, सुझावों का प्रचार-प्रसार, मिश्रित-जैविक खेती, मृदा संरक्षण एवं पशुपालन आदि विषयक	पंचायत भवन/कालीमंदिर के पास	45 हजार	5 वर्ष	ओएसआर फण्ड, कृषि एवं पशुपालन विभाग
26.		वन संरक्षण, स्वच्छता एवं पेयजल हेतु जनजागरूकता	बैठक, नारालेखन, दीवारलेखन, रैली आदि	पूरे ग्राम पंचायत में	40 हजार	1 वर्ष	ओएसआर

एन.डी.ए. के तहत 'कृषि' - 6 प्रकल्प

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

आगामी क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया समग्र जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के ध्येय से ग्राम प्रधान श्री सुदीप सिंह द्वारा दिनांक 16 मार्च को 2023 को पूरे ग्राम सभा में सूचना की गयी कि दिनांक 17.03.2023 को प्राचीन काली मंदिर, पडरिया पर खुली बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी सम्मानित ग्रामवासियों की सहभागिता अपेक्षित है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत औड़ेण्य पडरिया की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 17.03.2023 को प्राचीन काली मंदिर पडरिया पर खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में पंचायत सचिव श्री नितिन यादव, ग्राम प्रधान श्री सुदीप सिंह, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सहायक, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, सफाईकर्मी के साथ 14 टोले के ग्रामीण किसान, महिलाएं एवं पुरुष, बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी मजदूरों से कुल 146 लोगों (पुरुष-47, महिला-88 एवं बच्चे-11) भाग लिया।



इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री सुदीप सिंह एवं पंचायत सचिव भी श्री नितिन यादव ने संयुक्त रूप से किया। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम पंचायत सचिव श्री नितिन जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम के प्रभाव को अधिक झेल रहे हैं। जिसका पूरा प्रभाव हमारे ग्रामपंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ रहा है। जिसमें मैनपुरी जनपद भी सम्मिलित है। मैनपुरी जनपद के औड़ण्य पडरिया ग्राम पंचायत को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया और कहा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सरकार इस दिशा में गांव के विकास हेतु सतत प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आयोजित की गई है।

इसके उपरांत सचिव महोदय ने बताया कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं बनी हैं और संबंधित विकास कार्य हुए भी हैं, किन्तु यह योजना जलवायु एवं मौसम के आधार पर जो समस्याएं, आपदाएं एवं उनके जोखिम बढ़ रहे हैं, उसका न्यूनीकरण एवं समाधान करने हेतु बनेगी। आगामी चार दिनों में जलवायुगत/मौसम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करना है। जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। उन्होंने बैठक में सम्मिलित हुए पूरे समुदाय से निवेदन किया कि गांव की जलवायुगत एवं मौसम से संबंधित स्थितियों की स्पष्ट एवं वास्तविक जानकारी हमें देनी है, अतः समस्याओं पर चर्चा होना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण-

समिति का नाम	सदस्यों के नाम	पद
प्रशासनिक समिति	श्री संतोष	अध्यक्ष
	श्रीमती मुन्नी	सदस्य
	श्रीमती बेंद्री देवी	सदस्य
	श्रीमती केसरी देवी	सदस्य
	श्री भगवानदास	सदस्य
	श्री राम रतन	सदस्य
निर्माण कार्य समिति	श्रीमती बेंद्री देवी	अध्यक्ष
	श्रीमती केसरी देवी	सदस्य
	श्री भगवानदास	सदस्य
	श्री राम रतन	सदस्य
	श्री संतोष	सदस्य
	श्रीमती मुन्नी	सदस्य

स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	श्री भगवानदास श्री राम रतन श्री संतोष श्रीमती मुन्नी श्रीमती बेंद्री देवी श्रीमती केसरी देवी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पेयजल, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति	श्रीमती बेंद्री देवी श्रीमती केसरी देवी श्री भगवानदास श्री राम रतन श्री संतोष श्रीमती मुन्नी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नियोजन एवं विकास समिति	श्री वीरेंद्र कुमार श्रीमती ओमवती देवी श्रीमती केसरी देवी श्री भगवानदास श्री राम रतन श्री संतोष श्री वीरेंद्र कुमार	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
शिक्षा समिति	शिवेंद्र कुमार श्रीमती मुन्नी श्रीमती केसरी देवी श्री भगवानदास श्री राम रतन श्री संतोष	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत स्थितियों, संबंधित आपदाओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सहायक, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, सफाईकर्मी के साथ 14 टोले के ग्रामीण किसान, महिलाएं एवं पुरुष, बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे, समुदाय के लोगों ने ग्राम पंचायत के औडेण्य एवं पडरिया 2 मजरो का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। प्राचीन काली मंदिर से यह वॉक शुरूकर पडरिया, औडेण्य टोले पर किया गया। अगले दिन 18 मार्च को नगला नया, एवं नगला विपिन उसके पश्चात् औडेण्य पडरिया के साथ 2 तालाब, प्राथमिक विद्यालय, के साथ पुनः पंचायत भवन/सचिवालय पर समाप्त हुई।



	गांव में यूकेलिप्टस, पापुलर, शीशम के पेड़ भी यत्र-तत्र हैं। जिनकी संख्या न्यून है।
भौतिक संसाधन	<p>औडण्य पडरिया मैनपुरी शहर के पास का एक साधन सम्पन्न ग्राम पंचायत है। यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल हेतु संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध है। 10 प्राथमिक विद्यालय हैं। 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुछ के भवन पुराने तो कुछ के नये हैं। सभी विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था है। इसके साथ ही वाटर रिचार्ज हेतु सभी प्राथमिक विद्यालय के छत पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था बनाई गई है। डिग्री कालेज एवं आईटीआई भी है।</p> <p>पूरे ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु 270 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। शुद्ध पेयजल हेतु जलनिगम का सौर उर्जा संचालित जलापूर्ति व्यवस्था हेतु कार्य प्रस्तावित है। सभी पुरवे पर निजी हैण्डपम्प भी हैं।</p> <p>ग्राम पंचायत में दो नहर निकलती हैं, एक गंगा की निचली नहर ग्राम पंचायत के दक्षिणी टोले सिंहपुर एवं कड़ेराहार के पास से निकलती है, जिससे गांव के लोग सिंचाई हेतु उपयोग करते हैं।</p> <p>ग्राम पंचायत में सड़के अधिकांश मात्रा में आरसीसी एवं टाइल्स वाली बनी हैं जिनके दोनों तरफ से जलनिकास हेतु पक्की नालिया भी हैं। नगला नया, नगलाजुला एवं सिंहपुर, कड़ेराहार एवं पनिहार में नालियां एवं सड़क कच्चे भी हैं। जो बरसात में एक-दो घण्टे के जलजमाव का कारण भी बनते हैं। साथ ही कचरा आदि के फैलने से फिसलने का भय बना रहता है।</p> <p>ग्राम पंचायत में स्थानीय दुकानें भी हैं, जो अधिकांश जरूरत के सामग्री रखती हैं। यहां कम्प्यूटर सेंटर, रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प आदि भी हैं।</p>

सामाजिक मानचित्रण

सभी सभी टोलो के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित पडरिया के प्रसिद्ध प्राचीन काली मंदिर के परिसर में विभिन्न वर्गों के समुदाय की उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	1248 हे0	बसाहट, बाग-बगीचा एवं खेती का स्थान (730 हे0) मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. थसंहपुर 2. कड़ेराहार 3. झिंझाई 4. बिछिया 5. औडेण्य 6. पडरिया 7. नगलाजुला 8. बैजनाथपुर 9. नगला नया 10. नगला विपिन 11. पावरहाउस

		12. ट्रान्सपोर्टनगर 13. पनिहार 14. नगला हरसुख
कुल घरों की संख्या	2105	सभी टोले पर
कुल पक्के घरों की संख्या	2093	सभी टोले पर
कुल कच्चे घरों की संख्या	12	सभी टोले पर
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	70	सभी टोले पर
विकलांग जनों की संख्या	70	सभी टोले पर
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	127	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	270	सभी टोले पर

जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	1050
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	699
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	356
कुल घरों की संख्या	2105

ग्राम पंचायत औडेण्य पडरिया मैनपुरी ब्लाक से दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किमी की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत औडेण्य पडरिया मैनपुरी जिले की मैनपुरी तहसील में स्थित है। यह मैनपुरी से 4 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। पूरब में मैनपुरी किशनी रोड है, पश्चिम में मैनपुरी करहल रोड है जो सैफई से इस ग्राम पंचायत को जोड़ता है। इस ग्राम पंचायत के दक्षिण हिस्से से कानपुर गंगा निचली नहर निकलती है। इस ग्राम पंचायत के 12 टोले निचली नहर के उत्तर में तथा 2 टोले दक्षिण में स्थित है।

ग्राम पंचायत से काली नदी उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर और इसान नदी 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बहती है। इनकी लहरदार रेत की उबड़-खाबड़ भूमि का प्रभाव औडेण्य ग्राम पंचायत पर भी स्पष्ट दिखता है। ग्राम पंचायत से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 50 किमी की दूरी पर यमुना नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं।

औडेण्य पडरिया ग्राम पंचायत का एक पुरवा औडेण्य उबड़खाबड़ भूमि पर बसा है। यहां कुछ घर 10 फीट ऊंचाई पर है तो कुछ समतल पर हैं। अन्य टोले समतल पर हैं। नीचे की भूमि पथरीली है, 3-4 फीट नीचे पत्थर मिलते हैं, इसलिए यहां आम, महुआ, कटहल, पीपल आदि जैसे वृक्ष नहीं बढ़ पाते हैं। अर्थात् बढ़वार नहीं हो पाती है।

सिंहपुर एवं कड़ेराहार के लोगों ने बताया कि यहां पर बरसात के मौसम में विद्यालय में जलजभाव हो जाता है, जो कुछ घण्टों में निकल जाता है।

यहां ब्राह्मण, ठाकुर शाक्य, शर्मा सक्सेना, वाल्मिकी कश्यप, यादव, हरिजन, एवं बहेलिया आदि जातियां हैं। कुल 70 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। 82 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते हैं जबकि लगभग 65 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। 127 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है। लगभग 250 भूमिहीन होंगे जिनके पास जमीन के नाम पर केवल घर है।

आजीविका के साधन

क्रम संख्या	आजीविका के साधन	परिवारों की संख्या
1	सरकारी नौकरी	550
2	छोटे उद्योग-धन्धे	0
3	कृषि आधारित	1400
4	कला एवं शिल्पकार	0
5	पशुपालन	725
6	लोकल दुकान	122
7	गैर कृषि मजदूरी	350
8	अन्य	50

औडेण्य पडरिया के 44 प्रतिशत परिवार की आजीविका कृषिगत गतिविधियों, 23 प्रतिशत पशुपालन, 17 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 11 प्रतिशत दिहाड़ी कार्यों पर आधारित है। इस प्रकार मौसम के बदलाव होने से लोगों की आजीविका पूर्णतः प्रभावित होती है। 4 प्रतिशत परिवारों की आजीविका निजी ग्राम स्तरीय दुकानों पर आधारित है।

		12. ट्रान्सपोर्टनगर 13. पनिहार 14. नगला हरसुख
कुल घरों की संख्या	2105	सभी टोले पर
कुल पक्के घरों की संख्या	2093	सभी टोले पर
कुल कच्चे घरों की संख्या	12	सभी टोले पर
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	70	सभी टोले पर
विकलांग जनों की संख्या	70	सभी टोले पर
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	127	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	270	सभी टोले पर

जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	1050
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	699
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	356
कुल घरों की संख्या	2105

ग्राम पंचायत औडेण्य पडरिया मैनपुरी ब्लाक से दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किमी की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत औडेण्य पडरिया मैनपुरी जिले की मैनपुरी तहसील में स्थित है। यह मैनपुरी से 4 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। पूरब में मैनपुरी किशानी रोड है, पश्चिम में मैनपुरी करहल रोड है जो सैफई से इस ग्राम पंचायत को जोड़ता है। इस ग्राम पंचायत के दक्षिण हिस्से से कानपुर गंगा निचली नहर निकलती है। इस ग्राम पंचायत के 12 टोले निचली नहर के उत्तर में तथा 2 टोले दक्षिण में स्थित है।

ग्राम पंचायत से काली नदी उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर और इसान नदी 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बहती है। इनकी लहरदार रेत की उबड़-खाबड़ भूमि का प्रभाव औडेण्य ग्राम पंचायत पर भी स्पष्ट दिखता है। ग्राम पंचायत से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 50 किमी की दूरी पर यमुना नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं।

औडेण्य पडरिया ग्राम पंचायत का एक पुरवा औडेण्य उबड़खाबड़ भूमि पर बसा है। यहां कुछ घर 10 फीट ऊंचाई पर है तो कुछ समतल पर हैं। अन्य टोले समतल पर हैं। नीचे की भूमि पथरीली है, 3-4 फीट नीचे पत्थर मिलते हैं, इसलिए यहां आम, महुआ, कटहल, पीपल आदि जैसे वृक्ष नहीं बढ़ पाते हैं। अर्थात बढ़वार नहीं हो पाती है।

सिंहपुर एवं कड़ेराहार के लोगों ने बताया कि यहां पर बरसात के मौसम में विद्यालय में जलजभाव हो जाता है, जो कुछ घण्टों में निकल जाता है।

यहां ब्राह्मण, ठाकुर शाक्य, शर्मा सक्सेना, वाल्मिकी कश्यप, यादव, हरिजन, एवं बहेलिया आदि जातियां हैं। कुल 70 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। 82 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते हैं जबकि लगभग 65 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। 127 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है। लगभग 250 भूमिहीन होंगे जिनके पास जमीन के नाम पर केवल घर है।

आजीविका के साधन

क्रम संख्या	आजीविका के साधन	परिवारों की संख्या
1	सरकारी नौकरी	550
2	छोटे उद्योग-धन्धे	0
3	कृषि आधारित	1400
4	कला एवं शिल्पकार	0
5	पशुपालन	725
6	लोकल दुकान	122
7	गैर कृषि मजदूरी	350
8	अन्य	50

औडेण्य पडरिया के 44 प्रतिशत परिवार की आजीविका कृषिगत गतिविधियों, 23 प्रतिशत पशुपालन, 17 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 11 प्रतिशत दिहाड़ी कार्यों पर आधारित है। इस प्रकार मौसम के बदलाव होने से लोगों की आजीविका पूर्णतः प्रभावित होती है। 4 प्रतिशत परिवारों की आजीविका निजी ग्राम स्तरीय दुकानों पर आधारित है।

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत औड़ण्य पडरिया के आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने बताया कि सूखा एक ऐसी आपदा है, जो समुदाय एवं गांव को निन्तर प्रभावित कर रही है। साथ ही सूखा का प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक प्रभाव खेती एवं पशुपालन पर होता है। 20 प्रतिशत खरीफ ऋतु की फसल उत्पादन जलजमाव से भी प्रभावित होती है। 1980, 2014, 2016, में सूखा का अधिक प्रभाव रहा है। 2018 से अभी तक के वर्षों में सूखा का समय एवं तीव्रता दोनों बढ़ रहा है।

हाल के वर्षों में सूखा के साथ गम्भीर लू का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। समुदाय के स्वास्थ्य एवं पशुपालन पर लू का भी प्रभाव रहा है।

1980 में जब मैनपुरी में बाढ़ आई थी तो ग्राम पंचायत के निचले खेतों में जलजमाव हुआ था। जिसमें 30 एकड़ की खेती प्रभावित हो गई थी। इसके अतिरिक्त आंधी, ओलावृष्टि, आगजनी भी इस गांव को बीच-बीच में प्रभावित करती रहती है जिसका प्रभाव फसलों पशुपालन, एवं आजीविका पर होता है।

प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् अंकित किया गया है-


क्र.	वर्ष	आपदा/ खतरा	घटनाओं का क रण	मृतको की सं०	प्रभावि तो की सं०	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
2	1970	सूखा	वर्षा का कम होना	पूरा गांव	कुछ नहीं किया गया
3	1980	जलजमाव	मैनपुरी में बाढ़	सिंहपुर कड़ेराह र एवं झिंझाई के खेत	30 एकड़ खेत की फसल का नुकसान	कुछ नहीं किया गया
4	2014 2016	सूखा	बरसात ना होना	पूरा गांव	730 हे० की खेती, पशुपालन, पेयजल प्रभावित	बोरिंग की संख्या बढ़ाई गई। गांव में निजी समर्सिबल पम्प लगवाए गए।
5	1016, 2020	ओलावृष्टि	अज्ञात	सिंहपुर के पशु घायल	झिंझाई, नगला नया, नगला विपिन, सिंहपुर	3 बकरी, 6 भेड़ को घायल	कुछ नहीं किया गया।
6	2016	सर्दी में अतिवृष्टि	अचानक बेमौसम बरसात	200 हे० खेत, पशुपाल	बकरी एवं भेड़ का स्वास्थ्य खराब	कुछ नहीं किया गया।

					न		
7	सूखा 2018 2019 2020 2021 2022		समस्त ६ गांव	खरीफ की फसल में उत्पादन कम होना	नहर से अतिरिक्त सिंचाई, बोरिंग की संख्या में वृद्धि
8	2020	कोरोना	कोरोना वायरस का संक्रमण	5	पूरा गांव	दवा में लागत बढ़ने से आर्थिक क्षति, आजीविका पर प्रभाव	लोगों ने टीके लगवाए।
9	2021	टागलगी	अत्यधिक तापमान में वृद्धि	नगला नया, मुकेश का घर	पूरा घर एवं पूरा सामान जल गया।	गांव के लोगों ने मदद किया, नया घर बनवाया गया।
10	2020	आंधी तूफान	तेज हवा		टीनशेड एवं कच्चे घर प्रभावित, छप्पर उड़कर गिर गये।	कुछ नहीं किया गया।

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	1050	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> ● लगभग 150 हे० की फसल का उत्पादन प्रभावित हो जाती है। ● आगामी कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है। ● धान में दीमक रोग लग जाता है। ● कम दिन के जलजमाव वाले क्षेत्र की पैदावार भी प्रभावित होता है।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> ● रोपाईं में देर हो जाती है। ● सिंचाई खर्च अधिक लगता है। ● धान की नर्सरी खराब हो जाती है। ● खेत की खड़ी फसल सूख जाता है। ● फसलों की बढ़वार नहीं होता है। ● सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है।
			ओलावृष्टि				<ul style="list-style-type: none"> ● फसलें नष्ट हो जाती हैं। ● फसलों की बढ़वार प्रभावित हो जाती है। ● गृहवाटिका का उत्पादन प्रभावित होता है।
2.	मजदूरी	800	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> ● 20 प्रतिशत कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है। ● 2 टोले पर मनरेगा का कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं मिलती है।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> ● कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है। ● खान-पान पर प्रभाव पड़ता है। ● आजीविका प्रभावित होती है। ● आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। ● पलायन करना पड़ता है।

3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)	725	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जात है। ● गाय-भैंसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है। ● मुख्यतः हरा चारा कम हो जाता है। ● तपती धूप के कारण पशुओं में भयंकर बीमारी का होना। ● मुर्गीपालन में बहुत नुकसान होता है। चूजे मर जाते हैं।
			ओलावृष्टि			<ul style="list-style-type: none"> ● पशुचारे की समस्या हो जाती है। ● पशुओं में बीमारियां हो जाती है। ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जात है। ● छोटे पशुओं बकरी, बछड़ा, बछिया आदि के चोटिल होने का भय बना रहता है।
4.	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)	122	आंधी / ओलावृष्टि			<ul style="list-style-type: none"> ● सामान लाने में असुविधा होती है। ● सामान महंगा हो जाता है। ● कच्चा माल खराब हो जाने का भय बना रहता है।



सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट लेखन कार्य टीम

सुश्री अंजू पाण्डेय
श्रीमती सूर्यावती देवी

.....

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹⁹ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)¹⁰⁰ = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत¹⁰¹ = ₹40,000/हेक्टेयर¹⁰²</p>	

99 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

100 लागत बाजार भाव के अनुसार

101 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

102 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंदी का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए¹⁰³ = ₹150	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ¹⁰⁴ = ₹90,000	

103 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

104 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत ¹⁰⁵: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-> 2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	

105 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	10 m ³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत ¹⁰⁶ = ₹35,000 1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹⁰⁷: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3, 75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी रखें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

106 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

107 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाना	चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण II और III: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट की लागत शौचालय ¹⁰⁸ = ₹15,000 से ₹20,000	

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰⁹ : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 और 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

108 https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf

109 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

मतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या¹¹⁰ = कुल उत्पन्न कचरा/ प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना।</p>	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹¹¹: 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000</p> <p>2. 1 कूड़ादान/कंटेनर¹¹² = ₹15,000</p>	

110 लागत बाजार भाव के अनुसार

111 लागत बाजार भाव के अनुसार

112 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	प्राकृतिक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹¹³ = मात्रा (किलो/दिन) जैविक अपशिष्ट / 2	
		चरणII औरIII: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹¹⁴ : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ ¹¹⁵ : ₹35,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

113 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

114 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

115 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएँ	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

स्वच्छ,सतत,किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट घंटा में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ____</p> <p>tCO <</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000¹¹⁶</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

116 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹1 लाख¹¹⁷</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख¹¹⁸</p>	<p>डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>

117 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार

118 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/ क्लीन कुकिंग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000¹¹⁹</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹²⁰</p>	

119 बाजार दर के अनुसार लागत

120 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000 ¹²¹	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो: ₹8-15 लाख प्रति यविनट लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट ¹²²	
---	---	--------------------------	--	--

121 बाजार दर के अनुसार लागत

122 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सतत और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसराॅक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



